छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 58 ■ अम्बिकापुर, गुरूवार 19 फरवरी 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

बंद कमरे में कोयले का सिगड़ी हंसते-खेलते परिवार के लिए बना काल

दंपत्ति व 4 साल के मासूम की दम घुटने से मौत, घटना से चन्द्रपुर गांव में पसरा मातम

छ.ग.फ्रंटलाइन सूरजपुर। ठंड से बचने की कोशिश एक हंसते-खेलते परिवार के लिए काल बन गई। हादसा मंगलवार की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चन्द्रपुर में हुआ। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात कोयले की सिगड़ी जलाकर बंद कमरे में उसे रखकर सोए दंपत्ति और उनकी चार वर्षीय मासूम बच्ची की दम घुटने से मौत हो गई। बुधवार सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों ने दरवाजा खुलवाने के प्रयास किया, मगर कमरे के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वहां सोए 28 वर्षीय कवल सिंह, उनकी 25 वर्षीय पत्नी कुंती और चार साल की मासूम बेटी अचेत अवस्था में पड़े हैं। इन्हें उठाने का प्रयास किया गया परंतु उस वक्त तक तीनों की मौत हो चुकी थी। इसकी सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में कमरे में भरी जहरीली गैस, संभवतः कार्बन मोनोऑक्साइड, को मौत का कारण माना जा रहा है। बताया गया कि जिस कमरे में परिवार सो रहा था, उसमें न खिड़की थी और न ही रोशनदान। रात भर सिगड़ी से निकली गैस कमरे में भरती गई और कवल सिंह, उनकी पत्नी कुंती और चार साल की मासूम की सांसें थम गईं।

एक साथ उठीं 03 अर्थियां, सभी की आंखें हुई नम

सुबह जैसे ही तीनों के मौत की खबर गांव में फैली, चन्द्रपुर गांव शोक में डूब गया। एक साथ तीन अर्थियां उठीं तो हर किसी की आंखें नम हो गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार कवल सिंह मेहनतकश और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। परिवार खुशहाल था, लेकिन एक छोटी सी असावधानी ने सब कुछ छीन लिया। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है। हर घर में इस दर्दनाक हादसे की चर्चा है और लोग अफसोस जता रहे हैं। यदि कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था होती तो शायद यह हादसा टल सकता था।

मौके पर पहुंचे विधायक, शोक संतप्त परिवार का बढ़ाया ढांढस

घटना की सूचना मिलते ही प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी तत्काल चन्द्रपुर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। विधायक ने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर मुआवजा प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही शासन की ओर से उपलब्ध प्रावधानों के तहत हरसंभव आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। परिजनों का हाथ थामकर उन्होंने ढांढस बंधाया और ग्रामीणों से अपील किया, कि कमरे में सिगड़ी रखने की भूल ना करें। ग्रामीणों ने कहा कि दु:ख की इस घड़ी में विधायक की सक्रियता और संवेदनशील मौजूदगी ने परिवार को संबल प्रदान किया है।

सेक्स रैकेट के मामले में पति-पत्नी गिरफ्तार, अब तक 12 हुए गिरफ्तार

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पुलिस ने देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है, इसके पहले पुलिस ने 10 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की थी। मामला गांधीनगर पुलिस थाना क्षेत्र का है, यहां कई इलाकों में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी। शिकायतों और गोपनीय सूचना के आधार पर विशेष टीम ने नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में संदिग्ध ठिकानों में छापामार कार्रवाई की और पति-पत्नी को हिरासत में लिया है। मामले में पूर्व से अब तक 12 लोगों के गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि सेक्स रैकेट शहर के अलग-अलग इलाकों में सक्रिय है और होटल व किराए के मकानों का उपयोग कर रहा है। कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने जैसी खबरें भी सामने आ रही हैं। करीब दो माह पहले कोतवाली थाना क्षेत्र में देह व्यापार का मामला सामने आने पर पुलिस ने आकाशवाणी चैक के पास कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित सात लोगों को हिरासत में लिया गया था। होटल मैनेजर और एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है।

बुजुर्ग की हत्या के आरोपी एसडीएम को राज्य सरकार ने किया निलम्बित

सुरक्षागत कारणों से केंद्रीय जेल अंबिकापुर किया गया शिफ्ट

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले के हंसपुर गांव में कुसमी एसडीएम और उनके गुर्गों पर आदिवासी ग्रामीण की हत्या का आरोप है। मंगलवार की रात को मृतक का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी के आधार पर बुधवार, 18 फरवरी को एसडीएम करूण डहरिया के निलम्बन का आदेश छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव ने जारी कर दिया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि, एसडीएम के साथ पकड़े गए युवकों के अलावा बाकी लोग भी थे, जिन्होंने गांव में हूटर बजाते हुए आतंक मचाया था। दरअसल, हंसपुर गांव में बॉक्साइट के अवैध उत्खनन के विवाद परएसडीएम के साथ दो निजी गाड़ियों में पहुंचे युवकों ने 3 ग्रामीणों की पिटाई कर दी थी। इनमें से आदिवासी रामनरेश राम (60) की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। सोमवार को शव का पोस्टमॉर्टम किया गया, लेकिन स्वजन शव लेकर नहीं गए। मंगलवार को सर्व आदिवासी समाज और कांग्रेस ने कुसमी में धरना प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन खत्म होने के बाद मंगलवार को देर शाम राम नरेश राम का शव उनके घर पहुंचा, लाश डिस्पोज होने लगा था,

इस कारण शव का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं, मारपीट में घायल अजीत उरांव और आकाश अगरिया का इलाज कुसमी स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है।

एसडीएम और गुर्गों ने मचाया था आतंक

ग्रामीणों ने बताया कि, हंसपुर इलाके में बॉक्साइट का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। यहां से रोज कई ट्रक बाक्साइट कोरंधा मार्ग से झारखंड भेजा जाता था। अवैध उत्खनन में सीधे तौर पर एसडीएम करूण डहरिया और कुछ भाजपा नेता शामिल थे। ग्रामीण अवैध उत्खनन का विरोध कर रहे थे। रविवार को ग्रामीणों ने अवैध बॉक्साइट लोड एक गाड़ी को रोक दी थी। ट्रक को रोकने की सूचना पर एसडीएम करूण डहरिया अपने वाहन और एक थार में सवार होकर 7-8 लोग हंसपुर पहुंचे थे। गाड़ी के हूटर की आवाज सुनकर ट्रक को रोकने वाले ग्रामीण भाग गए। खेतों में पानी पटाकर लौट रहे राम नरेश और दो अन्य लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी।

कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी

मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 10 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इस कमेटी में अमरजीत भगत संयोजक बनाए गए हैं। समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व विधायक डॉ. प्रीतम राम, परास नाथ राजवाड़े, भानू प्रताप सिंह और पूर्व महापौर डॉ. अजय तिर्की भी शामिल हैं। मामले में कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का भी ऐलान किया है।

सेंट्रल जेल शिफ्ट किए जाएंगे एसडीएम

एसडीएम करूण डहरिया को रामानुजगंज जेल से सेंट्रल जेल अंबिकापुर शिफ्ट किया गया है। बुधवार को उन्हें सेंट्रल जेल अंबिकापुर शिफ्ट करने के लिए दोपहर करीब 3 बजे रवाना किया गया। सुरक्षा कारणों से उन्हें अंबिकापुर शिफ्ट करने की बातें सामने आ रही है।

एसडीएम के निलम्बन का आदेश जारी

राज्य शासन ने कुसमी एसडीएम करूण डहरिया को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनकी पिटाई से हुई एक ग्रामीण की मौत की जांच के बाद की गई है। निलंबन अवधि में उन्हें कमिश्नर सरगुजा अटैच किया गया है, वे 2019 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।

पेट्रोल पम्प के पास से मोटरसायकल चोरी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के बारात को देखने के दौरान अज्ञात लोगों ने कबाड़ खरीदने और बेचने का काम करने वाले व्यक्ति का मोटरसायकल चोरी कर लिया। घटना 15 फरवरी को रात में 8 से 10 बजे के बीच की है। कोतवाली पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज करके विवेचना में लिया है। जानकारी के मुताबिक महामाया मंदिर के पीछे नहर रोड निवासी दिलीप साव पिता स्व. लक्ष्मण साव महाशिवरात्रि के मौके पर रविवार, 15 फरवरी को भगवान शिव का बारात देखने के लिए गौरी मंदिर गया था, और रात्रि करीब 8 बजे अपने मोटरसायकल को पुलिस लाइन पेट्रोल पम्प के पास खड़ा कर दिया था। बारात देखने के बाद रात 10 बजे घर जाने के लिए निकला तो उसका टीव्हीएस एक्सल मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 सीजेड 3816 नहीं था। काफी खोजबीन के बाद भी मोटरसायकल का पता नहीं चला। पुलिस ने मामले में धारा 305 (बी) का केस दर्ज कर लिया है, और अग्रिम जांच कार्रवाई कर रही है।

सुंदरगंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, जेसीबी और पुलिस वाहन पर पथराव

छ.ग.फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत सुंदरगंज में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बुधवार को जमकर बवाल हो गया। विरोध कर रहे लोगों ने जेसीबी मशीन समेत चार पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया, इसके बाद कार्रवाई रोकनी पड़ी। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सुंदरगंज में करीब सौ एकड़ छोटे झाड़ के जंगल मद की शासकीय भूमि पर करीब 46 लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसमें करीब आधा दर्जन लोगों द्वारा अपने अवैध अतिक्रमण को खुद ही हटाने की प्रक्रिया कर ली गई और करीब दो दर्जन लोगों द्वारा अभी भी अवैध कब्जा कर रखा गया है।

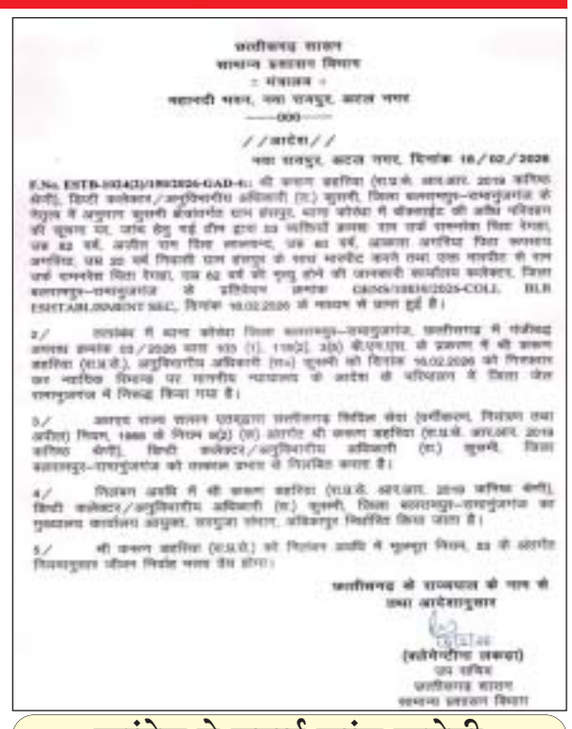

अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रशासन से कार्रवाई का अनुरोध किया गया था, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस को भी पत्र भेजा गया था। निर्धारित तिथि पर जब बुधवार को लटोरी तहसीलदार सुरेंद्र पैकरा व एसडीओपी अभिषेक पैकरा के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस बल गांव पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसी दौरान कार्रवाई का विरोध कर रहे एक पक्ष के लोग मौके पर एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते ग्रामीणों का आपस में ही विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हो गई। स्थिति तब बिगड़ गई जब उपद्रवियों ने जेसीबी मशीन समेत लटोरी पुलिस चौकी की शासकीय बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 03 ए 1223, सीजी03-4399, सीजी 03 ए 2294 पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हंगामे के बाद प्रशासन ने एहतियातन कार्रवाई स्थगित कर दी।

पंचायत प्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर हो रही थी कार्रवाई-एसडीएम

सुरजपुर एसडीएम शिवानी जायसवाल ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के प्रस्ताव के आधार पर राजस्व और पुलिस की टीम लटोरी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सुंदरगंज में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 35, 255, 552 पर स्थानीय लोगों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को ग्राम पंचायत सुंदरगंज के सरपंच व ग्राम समिति द्वारा हटाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई अतिक्रमणकारी ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सरपंच व ग्राम समिति के सदस्यों को देख उनके साथ झूमाझटकी करते हुए पथराव प्रारंभ कर दिए, जिस पर जेसीबी का चालक मशीन वहां से हटाने लगा, इसी दौरान जेसीबी पर पथराव के दौरान रास्ते में खड़ी पुलिस की वाहनों पर भी पत्थर पड़े, जिससे पुलिस की गाड़ी का कांच भी टूटा है। कुछ ग्रामीणों क्रमशः 40 वर्षीय शिवा राम पिता नईहर साय एवं 60 वर्षीय घरभरन राजवाड़े पिता नंदलाल, कमलेश, मटकू राजवाड़े व अन्य लोगों को चोट आई हैं। स्थिति को फिलहाल नियंत्रित कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

पालतू सुअरों के भागने व मारपीट से बढ़ा विवाद

दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अतिक्रमणकारी द्वारा खुद से बेजा कब्जा हटाया जा रहा था, तभी गांव के दूसरे पक्ष के कुछ लोगों द्वारा उसके पालतू सुअर को खोल दिया गया, जिससे सभी सुअर भाग गए। जब ग्रामीण ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई तो दूसरे पक्ष के ग्रामीण द्वारा मारपीट कर दिया गया, इसी वजह से यहां विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान जयनगर थाना प्रभारी टीआई रूपेश कुंतल एक्का, लटोरी चौकी प्रभारी अरुण गुप्ता दलबल के साथ सक्रिय रहे।

रिपोर्ट पर 18 लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज

मामले में शासकीय कार्य में व्यवधान एवं शासकीय सम्पत्ति के नुकसान मामले में लटोरी तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार पैकरा की रिपोर्ट पर लटोरी पुलिस ने धारा 191(2), 191(3), 190, 324 (3), 221 बीएनएस एवं लोक सम्पत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत 18 लोगों के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

टॉस्क पूरा करने के नाम 80 हजार, टूर के नाम पर 18 हजार की ठगी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। ठगी के दो मामलों में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध केस दर्ज किया है, और अग्रिम जांच कार्रवाई कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भगत सिंह वार्ड, गुदरी चैक निवासी रविश कुमार वर्मा उर्फ सोनू पिता रमेश कुमार वर्मा जूता-चप्पल के ट्रेडिंग का काम करता है। बीते 09 सितम्बर 2025 को मोबाइल के माध्यम से उसे टेलीग्राम में डीएफबीएन नामक एक ग्रुप से जोड़ा गया था। इसके ग्रुप एडमिन एट द रेट निशान वरूण 777 और एट द रेट अरूण जाटव थे। इनके द्वारा ऑनलाइन निवेश के टॉस्क को पूरा करने पर अधिक लाभ दिलाने का प्रलोभन दिया गया, जिसके झांसे में वह आ गया और अलग-अलग किस्त में 80 हजार रुपये ऑनलाइन दे दिया। इसके बाद लाभ की कहीं गुजाइश नजर नहीं आने पर उसे धोखाधड़ी का एहसास हुआ और वह इसकी जानकारी तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के हेल्पलाइन नम्बर पर दिया, ताकि ठगों के खाते को फ्रीज किया जा सके। इसके बाद वह घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 318 (4) का मामला दर्ज कर लिया है।

दूसरे मामले में विलक्षण कॉलोनी घुटरापारा अंबिकापुर निवासी सोमेन्द्र नारायण गुप्ता पिता महेश्वर प्रसाद गुप्ता ने पुलिस को टूर के नाम पर 18

हजार रुपये ठगी करने की जानकारी दी है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया है कि महाराष्ट्र के चनकपुर निवासी शाहबाज अंसारी और अंबिकापुर के संजय खूंटे व समीर ने रेडमार्स क्लब वैकेशन एंड हास्पिटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय आकाशवाणी चैक के पास स्थित होटल कृष दक्ष के प्रथम मंजिल में खोला था। इनके द्वारा एक बार में चार लोगों का रेल और हवाई यात्रा टिकट, स्टेशन से होटल तक लाने और ले जाने की सुविधा, पार्टी करने के लिए होटल में सुविधा देते हुए टूर के नाम पर 18 हजार रुपये लिया गया, जिसका ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से संजय खूंटे को उन्होंने किया था, छह हजार रुपये और टूर के समय देने कहा गया था। इसके बाद टूर का राह वे देखते रह गए और कार्यालय समेटकर गुपचुप तरीके से सभी फरार हो गए। कंपनी का बेवसाइट भी बंद बताने लगा। इनके कर्मचारियों से मोबाइल पर संपर्क करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इन्होंने फोन रिसीव करना बंद कर दिया। काफी प्रयास के बाद भी जब इनसे संपर्क नहीं हुआ तो सोमेन्द्र नारायण ने कोतवाली थाने में इसकी लिखित शिकायत प्रेषित की थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध भादंसं की धारा 420, 34 का मामला दर्ज कर लिया है।

बुजुर्ग पड़ोसी ने मासूम बच्ची पर किया कुल्हाड़ी से हमला, अस्पताल में भर्ती

भिलाई, छ.ग. फ्रंटलाइन। 70 साल के बुजुर्ग ने ढाई साल के बच्चे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बुजुर्ग पड़ोसी ने घर के अंदर खेलने से मना किया था, नहीं मनाने पर उसने हमला कर दिया। बच्चा की हालत गंभीर है। जिसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। घटना उतई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, बुजुर्ग परदेसी देवांगन ग्राम जोरातराई का रहने वाला है। शनिवार को ढाई साल का बच्चा बुजुर्ग के घर के अंदर खेल रहा था। ऐसे में उसने मना किया, लेकिन बच्चा नहीं माना। जिससे नाराज होकर बुजुर्ग से कुल्हाड़ी से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। घटना के बाद परिजन बच्चे को तुरंत इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक, मासूम की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। घटना से परिवार में भारी आक्रोश है। सूचना मिलते ही उतई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले में पशुपालकों को बेहतर और सुलभ पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा नियमित रूप से

पशुधन को मिल रहा समय पर उपचार

ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर पशुओं का उपचार किया जा रहा है। जिसके माध्यम से दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों में पशुपालकों को समय पर उपचार और विभागीय योजनाओं की जानकारी मिल रही है, ताकि पशुधन स्वस्थ रहे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो सके।

इसी कड़ी में विकासखण्ड रामचन्द्रपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत देवीगंज, पिपरोल एवं जामवंतपुर, विकासखण्ड बलरामपुर के पुटसुरा, जरहाड़ीह, महाराजगंज, विकासखण्ड कुसमी के बाटा,

जलजली, पोखर में पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने भ्रमण कर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया। इस दौरान पशुओं में पाए गए सामान्य एवं मौसमी रोगों की जांच कर आवश्यक दवाइयां दी गईं तथा पशुपालकों को रोगों की रोकथाम और संतुलित आहार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पशुपालकों को समय पर टीकाकरण कराने और पशुओं के रख-रखाव में स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी गई।

भ्रमण के दौरान पशु चिकित्सा दल ने घर-घर जाकर पशुओं की स्थिति का अवलोकन किया। जिन पशुओं में बीमारी के लक्षण पाए गए, उनका तत्काल उपचार किया गया।

इस दौरान पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी देकर बताया गया कि पशुपालन के लिए भी केसीसी के माध्यम से ऋण सुविधा प्राप्त की जा सकती है, जिससे पशुपालक अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। ग्रामीणों को केसीसी आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता की जानकारी विस्तार से समझाई। साथ ही विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया गया ताकि कोई भी पशुपालक जानकारी के अभाव में योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि पहले छोटी-मोटी बीमारियों के लिए भी पशुओं को दूर ले जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी। अब गांव में ही चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें राहत मिली है।

बिजली बिल में बढ़ोत्तरी से उपभोक्ता बेहाल, एई को सौंपा ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। शहर और ग्रामीण अंचल में इन दिनों बिजली बिलों को लेकर असंतोष की लहर तेज होती जा रही है। आरोप है कि स्मार्ट विद्युत मीटर लगने के बाद से बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के जिला सदस्य एवं निवर्तमान जिला महामंत्री दुर्गा गुप्ता ने सहायक अभियंता विद्युत बिश्रामपुर को ज्ञापन सौंपकर जांच और त्वरित निराकरण की मांग की है। सहायक अभियंता को सौंपे ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जब से विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट विद्युत मीटर लगाया गया है, तब से विद्युत बिल में अत्याधिक अनियमितता देखी जा रही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जो विद्युत बिल पहले 200 से 600 के मध्य आता था,

वही विद्युत बिल अब 2500 से 3000 रुपए के मध्य आ रहा है जबकि उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत का उपयोग उसी स्तर पर किया जा रहा है। विद्युत बिल की इस अनियमितता से किसानों, छोटे व्यापारियों, मजदूरों एवं मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी लोग अपने विद्युत बिल का सुधरवाने विभाग विभाग में जाते हैं परंतु उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हो पाता है और वे परेशान होते रहते हैं, अथवा उन्हें विभाग द्वारा दिए गए अत्याधिक बिल को पटाना पड़ता है।

विभाग की इस लापरवाही से आम जनता की नजरों में शासन की छवि भी धूमिल हो रही है।उन्होंने उक्त विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए आम जनता को विद्युत बिल संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है।

सद्गुरु कबीर सत्संग समारोह में शामिल हुईं रंजना डीपेंद्र साहू, संतों से लिए आशीर्वाद

धमतरी, छ.ग. फ्रंटलाइन। ग्राम लिमतरा स्थित सद्गुरु कबीर आश्रम में आयोजित त्रिदिवसीय सद्गुरु कबीर सत्संग समारोह में सत्संग श्रवण करने एवं कबीर साहेब संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं धमतरी की पूर्व विधायक श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने संत कबीर परंपरा के प्रमुख पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहेब जी एवं पूज्य श्री धर्माधिकारी सुधाकर साहेब जी सहित उपस्थित संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त किए। भजन, सत्संग और प्रवचन के आध्यात्मिक समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे, जिससे पूरा परिसर भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत दिखाई दिया। समारोह के मुख्य संत पंथी श्री हजूर अर्धनाम साहेब जी ने कबीर साहेब वाणी में कहा कि संत कबीर साहेब का संदेश मानव मात्र के कल्याण, सत्य, प्रेम और समानता पर आधारित है, कबीर साहेब ने समाज को जाति-पांति, ऊँच-नीच, आडंबर और दिखावे से दूर रहकर सच्चे सद्गुरु की शरण में आने तथा नाम सुमिरन, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। पूज्य श्री धर्माधिकारी सुधाकर साहेब ने कहा कि आज के भौतिकवादी युग में कबीर साहेब की वाणी समाज को आपसी भाईचारे, नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर करती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सत्संग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने तथा मानव सेवा को ही सच्ची ईश्वर सेवा मानने का संदेश दिया। इस अवसर पर श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू ने संत कबीर वाणी श्रवण कर कहा कि संतों का सान्निध्य मनुष्य के जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है, संत कबीर साहेब की शिक्षाएँ समाज को जोड़ने, सद्भाव बढ़ाने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। हमें उनके बताए आदर्शों, सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा और समानता को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करना चाहिए, तभी ऐसे आयोजनों की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। उन्होंने भव्य एवं सुव्यवस्थित सत्संग समारोह के सफल आयोजन हेतु आयोजन समिति और ग्रामवासियों को बधाई देते हुए क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के दौरान संतों के मधुर भजन, सत्संग प्रवचन और सामूहिक प्रार्थना ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से अभिभूत कर दिया।

जिले में अवैध रेत उत्खनन पर लगातार कार्रवाई, चैन माउंटेन मशीन जब्त

महासमुंद छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

जिला खनिज अधिकारी श्री फगुलाल नागेश के मार्गदर्शन में खनिज अमले द्वारा ग्राम पीढ़ी (महानदी तट) क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन करते हुए एक चैन माउंटेड मशीन को पकड़ा गया। मौके पर मौजूद मशीन चालक को तुमगांव थाना पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दो दिनों से पीढ़ी क्षेत्र से अवैध रूप से रेत का परिवहन रायपुर जिले के करमंडी खदान की ओर रैम्प मार्ग के माध्यम से किया जा रहा था। यह गतिविधि रात्रि के समय की जाती थी। खनिज अमले द्वारा पूर्व में सूचना के आधार पर निगरानी रखी जा रही थी। जैसे ही मशीन महासमुंद की ओर बढ़ी, टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसे रोक लिया।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जब्त मशीन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले में कहीं भी अवैध खनन एवं परिवहन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

करवां में चार दिवसीय सार्वजनिक विष्णु महायज्ञ शुरू

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। संत सनातन समाज के तत्वावधान में श्रद्धा, आस्था

और वैदिक परंपरा के बीच चार दिवसीय सार्वजनिक श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने कसलगिरि झरना से विधिवत पूजन कर जल भर नगर भ्रमण करते हुए यज्ञ शाला भवन तक शोभायात्रा निकाली। मार्ग में जगह-जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। यज्ञ शाला करवां पहुंचने पर यज्ञ शाला भवन का परिक्रमा कर भगवान की स्तुति किया गया। इसके पश्चात आचार्यों के निर्देशन में कलश पूजन कर कलश स्थापना, वेदी पूजन एवं अग्नि प्रज्ज्वलन किया गया। यज्ञ के माध्यम से क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और मंगल की कामना की जा रही है। चार दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में प्रतिदिन हवन, प्रवचन, भजन-कीर्तन एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा।

जिले में सुरक्षित खाद्य उपलब्धता हेतु प्रशासनिक प्रयास

धमतरी, छ.ग. फ्रंटलाइन। धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड में खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य कारोबार संचालन की तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु फोस्टैक (स्नश्स्ज्ञडुष्ट) प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य खाद्य कारोबारकर्ताओं को जागरूक, दक्ष एवं जिम्मेदार बनाते हुए सुरक्षित खाद्य प्रणाली को सुदृढ़ करना है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (स्नस्स्न्ड्ढ), नई दिल्ली का मुख्य उद्देश्य खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षित कर एक सशक्त फूड सेफ्टी ईकोसिस्टम विकसित करना तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को न्यूनतम करना है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीयन) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य की हैंडलिंग, प्रसंस्करण, तैयारी, पैकिंग, भंडारण, परोसने एवं वितरण से संबंधित स्वच्छता एवं सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, जिला धमतरी द्वारा निरंतर खाद्य कारोबारकर्ताओं से यह अपील की जाती रही है कि वे अपने व्यवसाय की श्रेणी अनुसार खाद्य प्राप्त करें तथा एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेकर नियमों के अनुरूप खाद्य व्यवसाय का संचालन करें।

इसी क्रम में मगरलोड ब्लॉक के खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा पहल करते हुए एफएसएसएआई से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था प्रखर फाउंडेशन के समन्वय से मगरलोड एवं ग्राम मेद्या में ही फोस्टैक प्रशिक्षण बैच का आयोजन किया गया, जिससे स्थानीय खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण हेतु बाहर न जाना पड़े। प्रखर फाउंडेशन द्वारा सशुल्क प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें सफल प्रशिक्षण उपरांत एफएसएसएआई द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदाय किया गया। दिनांक 6 एवं 7 फरवरी 2026 को सामुदायिक भवन, मगरलोड तथा अटल समरसता ग्राम पंचायत भवन, मेद्या में आयोजित इस प्रशिक्षण में कुल 107 किराना एवं कैटरिंग व्यवसाय तथा 51 स्ट्रीट फूड व्यवसाय से जुड़े खाद्य कारोबारकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान खाद्य कारोबार संचालन से जुड़े विभिन्न तकनीकी एवं वैज्ञानिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

मगरलोड ब्लॉक में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एफएसएसएआई, नई दिल्ली के अधिकृत प्रशिक्षक श्री विवेक पाठक एक दिन पूर्व ही पहुंच चुके थे। उल्लेखनीय है कि श्री पाठक देश के शीर्ष 10 प्रशिक्षकों में से एक हैं तथा अब तक देशभर में लगभग 463 प्रशिक्षण बैचों में 20,000 से अधिक खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं। इस प्रशिक्षण आयोजन में मगरलोड ब्लॉक व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री विश्वजीत साहू, मेद्या खाद्य व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री धनेश्वर निषाद एवं मेद्या के सरपंच प्रतिनिधि श्री गजेन्द्र ध्रुव का महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जिन्होंने प्रशिक्षण हेतु भवन उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त श्रीमती राखी साहू, सरपंच खिसोरा द्वारा भी खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करने में सराहनीय योगदान दिया गया। प्रखर फाउंडेशन द्वारा सभी सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। प्रशिक्षण में श्री हेमलाल साहू (अन्नपूर्णा भोजनालय), श्रीमती मंजूलता साहू (रिमझिम केक शॉप), श्री सूर्यकांत साहू (अभि फल भंडार, मेद्या), श्रीमती माहेश्वरी बाई (प्रमोद गुपचुप चाट सेंटर, मेद्या), श्री शिवनाथ साहू (शिवनाथ पान पैलेस), श्री प्रेमलाल सिंह (प्रेम किराना, भेंड्री), श्री विमलचंद जैन (किराना स्टोर, खिसोरा) सहित अन्य खाद्य कारोबारकर्ता उपस्थित रहे।

खाद्य कारोबारकर्ताओं ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान एनिमेशन वीडियो के माध्यम से खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई वैज्ञानिक पहलुओं को सरल एवं सहज रूप में समझाया गया, जिनका खाद्य व्यवसाय में पालन अत्यंत आवश्यक है। सभी कारोबारकर्ताओं ने भविष्य में भी नियमित अंतराल पर इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, ताकि आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निश्चित समय-सीमा में पूर्ण कराएं : कलेक्टर

कोरबा, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास ,डीएमएफ के अंतर्गत संचालित कार्यों सहित ग्रामीण पंचायत विभाग की प्रमुख योजनाओंकृप्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन आवास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन की विस्तृत समीक्षा की।

समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में संचालित समस्त निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पारदर्शिता एवं आमजन की जानकारी के लिए डीएमएफ अंतर्गत सीसी रोड निर्माण सहित सभी भवन निर्माण कार्यों में नागरिक सूचना पटल अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं। निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सूचना पटल बनाना सुनिश्चित किया जाए तथा भवन निर्माण कार्यों में दीवारों पर आवश्यक जानकारी अंकित की जाए।

कलेक्टर ने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के संदर्भ में डीएमएफकी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस कार्ययोजना में प्राथमिकता से उन क्षेत्रों को शामिल करने को कहा गया, जहां आंगनवाड़ी भवन एवं विद्यालय भवन उपलब्ध नहीं हैं या जर्जर स्थिति में हैं। साथ ही जिन स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बाउंड्रीवाल, शौचालय अथवा पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहां आवश्यक निर्माण कार्यों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य हर बसाहट तक सड़क की सुविधा पहुंचाना है, इसके लिए सीसी रोड निर्माण किए जाएंगे, जिनके लिए ग्राम पंचायतों द्वारा औचित्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सोलर संबंधी कार्यों के लिए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत एजेंसी नहीं होगी, बल्कि इन कार्यों की एजेंसी क्रेडा विभाग रहेगा। जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में सभी प्रकार की सामग्री की खरीदी अनिवार्य रूप से जैम पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए। जैम पोर्टल की प्रक्रिया के संबंध में संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

कलेक्टर श्री दुदावत ने डीएमएफ अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, उप स्वास्थ्य केंद्रों सहित जनहितैषी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण, रंग-रोगन एवं पेंटिग में एकरूपता सुनिश्चित की जाए तथा तकनीकी स्वीकृति (टीएस) में निर्धारित सामग्री का ही उपयोग किया जाए। पूर्ण हो चुके कार्यों के लिए एक सप्ताह के भीतर सीसी जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय किश्त प्राप्त हितग्राहियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में प्रारंभ सभी आवास कार्य मई माह तक पूर्ण कर लिए जाएं। पीएम जनमन आवासों को प्राथमिकता के साथ मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सीईओ जनपद पंचायत एवं एसडीओ आरईएस द्वारा सतत समीक्षा करते हुए फील्ड विजिट सुनिश्चित की जाए तथा तकनीकी अमला हितग्राहियों को आवास पूर्ण करने हेतु निरंतर प्रेरित करे।

मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों को मार्च 2026 तक पूर्ण करने, मस्टर रोल समय-सीमा में जारी करने तथा तीन वर्ष से अधिक पुराने अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत परिवारों के समावेशन, चक्रीय निधि लक्ष्य की पूर्ति, बैंक क्रेडिट लिंकेज में शत-प्रतिशत प्रगति एवं लखपति दीदी लक्ष्य को पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत फिकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण कार्य मार्च माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने डीएमएफ से स्वीकृत 803 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा सभी निर्माण कार्य मानसून पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी अमले को नियमित फील्ड विजिट, कार्य स्थल निरीक्षण के उपरांत ही मूल्यांकन करने तथा निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निराकरण सीईओ जनपद पंचायत एवं एसडीएम के समन्वय से करने के निर्देश भी दिए गए।

समीक्षा बैठक में सहायक कलेक्टर श्री क्षितिज गुरभेले, सीईओ जिला पंचायत श्री दिनेश कुमार नाग, सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत, ईई आरईएस श्री जोगी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, सब इंजीनियर एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।

ओवरब्रिज के नीचे चल रहा था 'नशे का सौदा', वेस्ट जोन पुलिस की दबिश से 20.300 किलो गांजा समेत अंतर्राज्यीय तस्कर दबोचा

रायपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। नशे के सौदागरों के लिए रायपुर की धरती अब सुरक्षित नहीं रही। पुलिस कमिश्नरेट के सख्त तेवर और वेस्ट जोन पुलिस की मुस्तैदी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के एक शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

लालपुर ओवरब्रिज के नीचे, केनाल रोड स्थित कुष्ठरोग अस्पताल के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस ने गांजा की डिलीवरी की फिराक में खड़े तस्करों को घेर लिया। पुलिस को देखते ही दो आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि चालक सीट पर

बैठे तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम हिमांशु केशरवानी, निवासी प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) बताया।

तलाशी के दौरान स्विफ्ट कार से अलग-अलग पैकेटों में भरा 20.300 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि आरोपी ओडिशा के कालाहांडी से गांजा लाकर रायपुर और उत्तर प्रदेश में उसकी सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने न सिर्फ गांजा, बल्कि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्विफ्ट कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए, जिनकी कुल कीमत करीब 7 लाख 55 हजार रुपये आंकी गई है।

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला के दिशा-निर्देश और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस उपायुक्त वेस्ट जोन संदीप पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा और सहायक पुलिस आयुक्त नवनीत पाटिल की निगरानी में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने यह सटीक और साहसिक कार्रवाई अंजाम दी।

थाना न्यू राजेन्द्र नगर में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 56/26, धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। साथ ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर पूरे नशा नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एंड-टू-एंड जांच और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की तैयारी है।

उरगा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध स्क्रैप यार्ड पर मारा छापा-लगभग 30 लाख का सामान किया जब्त

कोरबा छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर उरगा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना उरगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरबसपुर बायपास रोड स्थित एक अवैध स्क्रैप यार्ड पर दबिश दी गई। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि स्क्रैप यार्ड में चोरी से संबंधित हाइवा, ट्रैलर एवं ट्रक के पुर्जे सहित भारी मात्रा में लोहे का सामान अवैध रूप से संग्रहित है। जांच के दौरान यार्ड संचालक मौके पर मिला, लेकिन वह सामग्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

दस्तावेजों पेश न करने के अभाव में पुलिस ने लगभग 1200 टन ट्रैलर की मंडी, डाला बॉडी एवं अन्य लोहे का सामान जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये बताई जा रही है। नगर निगम टीम द्वारा पंचनामा तैयार कर स्क्रैप यार्ड को सीलबंद किया गया है। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है। कोरबा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी

वन विभाग में कर्मचारियों-अधिकारियों के निलंबन के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में एक अजीब घटना घटी। वन मंडल में बैठे एक कनिष्ठ अधिकारी ने मंत्रालय में सचिव पद पर असीन वरिष्ठ अधिकारी को लिंग सूचक गली से संबोधित कर दिया। अब वह पुलिंग था या स्त्रीलिंग यह तो वही दोनों जाने, लेकिन मंत्रालय प्रशासन ने देर से ही सही, मगर 15 दिन बाद कनिष्ठ अधिकारी को निलंबित कर दिया। जाहिर है वरिष्ठ अधिकारी बहुत इज्जतदार रहा होगा। तभी तो कनिष्ठ अधिकारी की पतंग रग्गे से काट दी गई। वैसे यह कोई नई बात नहीं है जिले में बैठे अधिकारियों पर इतना अधिक प्रेशर रहता है कभी वीसी का कभी विधानसभा जानकारी का तो कभी ऑडिट का, बाकी मुख्यालय मीटिंगों के भाग दौड़ का। स्थानीय नेताओं पत्रकारों जनप्रतिनिधियों से आए दिन नोक झोंक, सो अलग। पता नहीं कश्यप उस दिन किस प्रेशर में रहा होगा। पर एक बात तो तय है वन विभाग में निलंबित करने के क्राइटेरिया कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अलग-अलग हैं। वरिष्ठ को गाली दो तो निलंबन निश्चित और कनिष्ठ के इज्जत की मांजी बहन जी करो तो वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण। हम बात कर रहे हैं बलौदा बाजार वन मंडल के अंतर्गत कसडोल सब डिवीजन की। यहां पदस्थ एक रेंजर सुमित साहू ने अपने मातहत मैदानी कर्मचारियों को आए दिन पता नहीं कौन-कौन सी गालियां दी जलील किया, यहां तक कि वन कर्मचारी संघ भी एक लंबी लड़ाई उसके विरुद्ध लड़ गया। मगर इस बार वन विभाग का पूरा अमला लगा हुआ है उस दोषी रेंजर को बचाने। इस सुमित साहू के विरुद्ध पहले जांच संस्थित की गई वन मंडल स्तर पर और जांच रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इसके बाद जब वन कर्मचारी संघ ने आवाज उठाई तो वन संरक्षक ने अन्य डिवीजन के तीन उप वन मंडल अधिकारियों की टीम बनाकर फिर से जांच शुरू की मगर नतीजा अब तक सिफर है उपवन मंडल अधिकारी यू आर बसंत के नेतृत्व में की गई जांच रिपोर्ट अब तक उनके खींसे से बाहर नहीं निकली है। लिहाजा सुमित साहू के निलंबन की दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वह गरियाबंद जिले में आराम से अपनी सेवाएं दे रहा है। देखना यह है की गाली गलौज की पुष्टि होने के बाद भी बसंत कंपनी उसको कब तक बचा पाती है।

उप पंजीयक कार्यालय भवन की मांग

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। कार्यालय उप पंजीयक सूरजपुर में कई लाखों रुपए की जमीन खरीद बिक्री के पंजीयन से सरकार को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। किंतु लोगों को सुविधा के नाम पर यहां कोई व्यवस्था नहीं है। दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प बिक्री का कमरा इतना छोटा है कि लोगों को चलने फिरने के लिए जगह नहीं है। पंजीयन कार्यालय का हाल भी बदतर है जहां दस बाई पंद्रह फीट के कमरे में दस्तावेज स्कैनिंग, फोटो तथा डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है। यहां औसतन तीस पैंतीस पंजीयन रोज होता है लोग शाम होते तक ऑफिस में खड़े खड़े समय व्यतीत करते रहते हैं। लोगों की असुविधा के मद्देनजर भाजपा जिला सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ रामनिवास साहू ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर दस्तावेज स्टाम्प लेखक कार्यालय सह उप पंजीयक कार्यालय भवन के निर्माण की मांग किया था, किंतु आज दो साल व्यतीत हो गए इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। साहू ने सरकार से मांग किया है कि लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए उप पंजीयक सह दस्तावेज लेखक स्टाम्प बिक्री कार्यालय भवन का निर्माण शीघ्र कराया जाय।

रासेयो शिविर में पर्यावरण एवं सात्विक अन्नम पर संगोष्ठी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरगवां में आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर में 16 फरवरी को बौद्धिक कार्यक्रम अंतर्गत पर्यावरण एवं सात्विक अन्नम पर संगोष्ठी हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि खेमकरण अहिरवार जिला संगठक रा.से.यो. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, विशिष्ट अतिथि अर्चना छाजेड, ममोल कोचेटा, प्रतिमा त्रिपाठी सह व्यवस्थापिका सरस्वती शिशु मंदिर समिति रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। अर्चना ने अपने उद्बोधन में दैनिक दिनचर्या व संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी। ममोल कोचेटा राज्य प्रभारी अणुविभा ने पर्यावरण के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रकृति से खिलवाड़ करने पर प्रकृति हमारे साथ कैसा खेल खेलेगी, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जल, जमीन, वृक्ष की जरुरत हमें है। वन्देमातरम के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। प्राचार्य डॉ. श्रद्धा मिश्रा ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी रासेयो रानी रजक सहित महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक उपस्थित रहे।

कोटपा एक्ट के 16 चालानी कार्रवाई में 1600 रुपये जुर्माना

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। जिले में तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण और धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम का विकासखण्ड लखनपुर अंतर्गत उल्लंघन करने पर पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य व औषधि विभाग के संयुक्त दल द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। बिना वैद्यानिक चेतावनी वाले सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, पान-मसाला विक्रेता द्वारा बैठक व्यवस्था बनाकर सिगरेट पिलाने, सार्वजनिक स्थल में सिगरेट पीने वाले पर कार्रवाई करते कुल 16 चालानी कार्रवाई की गई और 1600 रुपये का चालान काटा गया। साथ ही भविष्य में सार्वजनिक स्थल, शैक्षणिक संस्थानों के समीप धूम्रपान करने वाले एवं अमानक रूप से तम्बाकू उत्पाद के क्रय-विक्रय करने पर संचालनों के विरूद्ध सील बंद संबंधी कार्रवाई किए जाने चेतावनी दी गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं खाद्य व औषधि निरीक्षक अनिल पैकरा, कमल नारायण, मनोज बिसेन, पीमसई उपस्थित थे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बिना वैधानिक चेतावनी सिगरेट, गुटखा पूर्णतः प्रतिबंध है, इसके बावजूद कई ऐसे पान-मसाला विक्रेता नियम विरूद्ध विक्रय करते पाए जा रहे हैं। कई डेलीनीड्स, पान-मसाला विक्रेता बैठक व्यवस्था बनाकर सिगरेट पिलाने जैसी व्यवस्था दे रहे थे, जिस कारण दूसरों के द्वारा छोड़े गए धुएं (सेकेंड-हैंड स्मोक) से भी कैंसर और हृदय रोगों का खतरा उतना ही होता है जितना पीने वाले को। उच्च न्यायालय के निदेर्शानुसार राज्य में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के पूर्णतः पालन करने के निर्देश तथा तम्बाकू उत्पाद पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने कहा गया है। तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कोटपा एक्ट की धारा 5 के तहत प्रतिबंधित है। कोटपा एक्ट की धारा 6 के अनुसार शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटर से 100 गज की दूरी तक तम्बाकू उत्पाद की बिक्री गैर कानूनी है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचा जाना या उपभोग करना सज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

अकाल मृत्यु का चित्रण अनिवार्य

तम्बाकू विक्रेता को कोटपा एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तम्बाकू उत्पाद के पैकेट में स्पष्ट रूप से तम्बाकू सेवन यानि अकाल मृत्यु का चित्रण अनिवार्य होना चाहिए। धूम्रपान में सहायक लाइटर, ऐस ट्रे को संस्थान में नहीं रखना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू विक्रय संस्थान में नहीं रहना चाहिए। इस हेतु एक बोर्ड अनिवार्य रूप से तम्बाकू संस्थान में रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने दिया किसानों को होली से पहले से अंतर राशि भुगतान का उपहार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि का भुगतान होली पर्व से पूर्व एकमुश्त किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इस निर्णय से जिले के किसानों में उत्साह और हर्ष व्याप्त है।

किसानों को मिलेगी बड़ी आर्थिक राहत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस किसान हितैषी निर्णय का स्वागत करते हुए लखनपुर विकासखंड के ग्राम कोसंगा के किसान पहरूराम ने हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उन्होंने लगभग 72 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बेचा है, जिसकी राशि उन्हें प्राप्त हो चुकी है। अब अंतर की राशि होली से पहले मिलने की घोषणा से वे अत्यंत खुश हैं। उन्होंने कहा कि होली के बाद विवाह-शादी का सीजन प्रारंभ हो जाएगा, ऐसे में यह राशि पारिवारिक आवश्यकताओं और सामाजिक दायित्वों के कार्य में सहायक होगी। पहरूराम ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में अत्यंत सराहनीय है और इससे किसानों में उत्साह का माहौल है।

जिले के 52 हजार से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत, प्रदेश भर में किसानों को इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा। जिले में 52,553 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया है, उन्हें अब अंतर की राशि उनके बैंक खातों में एकमुश्त प्राप्त होने से किसानों के चेहरे पर खुशी एवं रौनक आयेगी।

वसुधा जस गीत कार्यक्रम में विजेता होंगे पुरस्कृत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। नवरात्रि के मौके पर वसुधा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी तीन वर्ग में आयोजित की गई थी। बालिका वर्ग में शासकीय कन्या शाला की बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें प्रथम अनिशा कक्षा 12वीं, श्रुति तिवारी कक्षा 11वीं, द्वितीय आस्था गुप्ता, तृतीय स्थान पर शबीना सिंह रहीं। सांत्वना पुरस्कार शालिनी पांडे एवं प्रतिमा गुप्ता को प्राप्त हुआ। चैत्र नवरात्रि के पंचमी पर गांधी चौक दुर्गा मंदिर में 23 मार्च को वसुधा जस गीत के कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। महिला वर्ग के विजेताओं का परिणाम भी शीघ्र ही समाचार पत्रों के माध्यम से सामने लाया जाएगा। उक्ताशय की जानकारी वसुधा महिला मंच की संयोजिका वन्दना दत्ता ने दी।

मां महामाया एयरपोर्ट में संविदा पदों पर भर्ती, साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा की तिथि जारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर के नोडल अधिकारी ने बताया कि मां महामाया एयरपोर्ट अम्बिकापुर में रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु पदवार पात्रतानुसार प्रारंभिक पात्र एवं अपात्र सूची को जारी कर 23 जनवरी तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई थी। प्राप्त 07 दावा आपत्ति का निराकरण किया गया। इसके पश्चात चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के 01 पद हेतु 13 पात्र अभ्यर्थी, अकाउंटेंट के 01 पद हेतु 06 पात्र अभ्यर्थी एवं असिस्टेंट ग्रेड-3 के 01 पद हेतु 149 पात्र अभ्यर्थी हैं। उन्होंने बताया कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एवं अकाउंटेंट से संबंधित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं समस्त संगत अभिलेखों का सत्यापन उपरांत साक्षात्कार हेतु 09 मार्च को प्रातः 11 बजे कार्यालय मां महामाया एयरपोर्ट में उपस्थित होंगे। असिस्टेंट ग्रेड-3 से संबंधित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं समस्त संगत अभिलेखों का सत्यापन उपरांत कौशल परीक्षा हेतु 10 मार्च को प्रातः 11 बजे कार्यालय लाइवलीहुड कॉलेज अंबिकापुर, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास, गांधी चौक में उपस्थित होंगे। उन्होंने बताया कि असिस्टेंट एक्सक्यूटिव के विज्ञापन के उपरांत अपर्याप्त आवेदन तथा भर्ती नियम के अनुरूप अनुभव नहीं होने के कारण उक्त पद के आवेदनों को चयन समिति के निर्णयानुसार निरस्त किया गया है। उक्त पद हेतु पुनः विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा। असिस्टेंट एक्सक्यूटिव के पात्रता में छूट (यदि कोई हो तो) 25 फरवरी से 03 फरवरी के बीच वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त सूचना के आधार पर पुनः आवेदन कर सकते है।

होली क्रॉस विमेंस कॉलेज में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। होली क्रॉस विमेंस कॉलेज का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह-2025 कॉलेज के प्रेक्षागृह में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सि. शांता जोसेफ के निर्देशन में संपन्न हुआ। आयोजन का आगाज उर्जा और प्रकाश के वाहक मंगल दीपों को प्रज्वलित करके किया गया। छात्रा दिशा व समूह द्वारा ईश्वरीय वंदना की अभिव्यक्ति प्रार्थना नृत्य के माध्यम से की गई। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सि. शांता जोसेफ ने सर्वप्रथम कक्षावार प्रवीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं व एनसीसी इकाई की छात्राओं को पुरस्कार साथ ही ऑलराउंड अचीवमेंट का एक विशेष पुरस्कार छात्रा आयुषी खाखा को प्रदान किया। तत्पश्चात महाविद्यालय में वर्ष भर संचालित होने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर स्थान अर्जित करने वाली छात्राओं को महाविद्यालय की उप-प्राचार्य डॉ. सि. मंजू टोप्पो ने पुरस्कृत किया। छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुती दी, जिसमें भारत वर्ष के अलग-अलग राज्यों की विभिन्न नृत्य शैली सह रोचक व शिक्षाप्रद लघु नाटक शामिल रहे। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सि. शांता जोसेफ ने साहस, संकल्प व सकारात्मक सोच के साथ छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना प्रेषित किया। कार्यक्रम में सहायक प्राध्यापक ममता कश्यप, डॉ. नीना गुप्ता, डॉ. सि. दिव्या गुलाब मिंज, प्रज्ञा सिंह, प्रीति सिंह, अंजना, प्रेरणा लकड़ा, गमिता व मनीषा रजवाड़े का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में मंच संचालन छात्रा आयुषी खाखा व अनुषा पैकरा एवं धन्यवाद ज्ञापन छात्रा देवकी यादव ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, कर्मचारी व महाविद्यालय के संपूर्ण छात्राओं की उपस्थिति रही।

शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का फायदा हितग्राहियों को समय पर मिले: मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों से कहा है कि शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का फायदा हितग्राहियों को समय पर मिले यह सुनिश्चित हो। इसके लिए पहले से ही हितग्राही से संबंधित जानकारी दुरस्त कर लिया जाये। मुख्य सचिव आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित जनगणना वर्ष 2027 के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम में सभी जिलों में पेयजलापूर्ति, गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से पहले से ही लोगों को सावधान रहने एवं बचाव करने जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्ययोजना बनाने और तैयारियां पहले से ही कर लें। कलेक्टर्स को इस वर्ष खरीफ मौसम की धान खरीदी की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने, राशन दुकानों में खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता, इस साल तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा, जनसमस्याओं के समाधान एवं निवारण, पीएम आवास सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को जनगणना वर्ष 2027 संबंधी कार्यों को सतर्कता एवं संवेदनशीलता से करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गये। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी राशनकार्ड धारकों को पात्रता के अनुसार समय पर खाद्यान्न सामग्री मिले इसके लिए लगातार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की मानीटरिंग करें। मुख्य सचिव ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान संग्रहण केन्द्रों के भौतिक सत्यापन कर धान परिवहन एवं मिलिंग कार्य करने जरूरी दिशा निर्देश दिए।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री से मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने की सौजन्य भेंट

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर स्थित पहुना अतिथि गृह में उनसे सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न जनकल्याणकारी विषयों पर सकारात्मक एवं विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, पोषण स्तर में सुधार, सुरक्षा तंत्र की मजबूती तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वय से योजनाओं को और अधिक परिणाममूलक बनाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रदेश में संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है तथा जमीनी स्तर पर योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा भी उपस्थित रहीं। उन्होंने बाल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों एवं पहलों की जानकारी साझा की।

सम्पादकीय

भारतीय वायुसेना को नई मजबूती देगी राफेल डील

भारत और फ्रांस के बीच प्रस्तावित 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील केवल एक रक्षा खरीद नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की सामरिक सोच का संकेत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान जिस 3.60 लाख करोड़ रुपये के संभावित समझौते पर चर्चा हो रही है, वह भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में गुणात्मक बढ़ोतरी कर सकता है। दो मोर्चों चीन और पाकिस्तान की चुनौती के बीच यह सौदा रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास करीब 29 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हैं, जबकि आधिकारिक मंजूरी 42.5 स्क्वाड्रन की है। यानी लगभग 13 स्क्वाड्रन की कमी पहले से ही चिंता का विषय है। आने वाले दशक में जगुआर, मिग-29 और मिराज-2000 जैसे विमानों के चरणबद्ध सेवानिवृत्त होने से यह अंतर और बढ़ सकता है। ऐसे में नई पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की तत्काल आवश्यकता स्पष्ट है। राफेल पहले ही अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। हालिया अभियानों में इसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता, अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने वायुसेना को सामरिक बढ़त दिलाई है। वर्तमान में भारत के पास एफ-3 मानक के राफेल हैं, जो 4.5 जेनरेशन के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। प्रस्तावित डील के तहत एफ-4 और बाद में एफ-5 श्रेणी के 'सुपर राफेल' मिलने की संभावना है। यूरोपीय मानकों के अनुसार एफ-5 को छठी पीढ़ी के जेट की श्रेणी में रखा जा रहा है। यदि यह समयसीमा के अनुसार 2030 के बाद मिलते हैं, तो भारत फ्रांस के बाद इन अत्याधुनिक विमानों का प्रमुख ऑपरेटर बन सकता है। इस डील का एक और महत्वपूर्ण पहलू 'मेक इन इंडिया' है। कुल 114 विमानों में से 18 सीधे उड़ान-योग्य अवस्था में मिलेंगे, जबकि 96 का निर्माण भारत में होगा। इनमें लगभग 60 प्रतिशत कलपुर्जों का स्वदेशीकरण प्रस्तावित है। इससे भारतीय एयरोस्पेस उद्योग को नई गति मिलेगी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और हजारों रोजगार सृजित होंगे। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। हालांकि, कुछ सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। चीन पहले ही छठी पीढ़ी के विमानों के विकास में आगे बढ़ चुका है। ऐसे में भारत को केवल प्लेटफॉर्म खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास पर भी समान बल देना होगा। क्या 42.5 स्क्वाड्रन का लक्ष्य अगले दशक में पूरा हो पाएगा? क्या समय पर आपूर्ति और लागत नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा? ये वे प्रश्न हैं जिन पर सरकार और रक्षा प्रतिष्ठान को पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी रक्षा सहयोग से कहीं व्यापक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच वार्ता केवल विमानों की खरीद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उभरती प्रौद्योगिकियों, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक भू-राजनीति पर भी केंद्रित होगी। कुल मिलाकर 114 राफेल की संभावित डील वायुसेना के लिए 'ऑक्सीजन' साबित हो सकती है, लेकिन इसे दीर्घकालिक सामरिक दृष्टि से जोड़ना आवश्यक है। मजबूत वायुशक्ति केवल युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि शांति और संतुलन की गारंटी भी होती है।

मुद्दा

रोहित माहेश्वरी

20 फरवरी से लागू होने जा रहे इन नियमों के तहत अब एआई से तैयार किए गए फोटो और वीडियो पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फेक कंटेंट को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी गई है। अब साइबर अपराधी कंपनियों की तरह संगठित ढांचे में काम कर रहे हैं। इनके पास भर्ती करने वाली टीम, वेतन और प्रमोशन देखने वाले लोग और यहां तक कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी होती है। एआई ने साइबर अपराध को पहले से कहीं ज्यादा संगठित तेज और खतरनाक बना दिया है। वैसे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की संख्या और कंटेंट की मात्रा इतनी अधिक है कि केवल नियमों के सहारे नियंत्रण करना आसान नहीं होगा। इसके लिए तकनीकी निगरानी तंत्र को मजबूत, प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करना और उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अब एआई कंटेंट की होगी बेहतर निगरानी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जहां दुनिया को तेज और स्मार्ट बनाया है, वहीं इसके दुरुपयोग ने भी गंभीर चिंता पैदा कर रखी है। डीपफेक वीडियो, फर्जी तस्वीरें और एआई जनित भ्रामक सामग्री न केवल लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि साइबर ठगी और सामाजिक भ्रम का कारण भी बन रही हैं। इन खतरों के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में किए गए हालिया संशोधन को डिजिटल दुनिया में बढ़ती चुनौतियों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। आगामी 20 फरवरी से लागू होने जा रहे इन नियमों के तहत अब एआई से तैयार किए गए फोटो और वीडियो पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फेक कंटेंट को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी गई है। नए प्रावधानों के तहत एआई कंटेंट में स्थायी मेटाडेटा और डिजिटल पहचान चिह्न जोड़ने की अनिवार्यता भी तय की गई है, ताकि ऐसे कंटेंट की पहचान आसानी से की जा सके। यह बदलाव डिजिटल पारदर्शिता और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा अब सबसे बड़ी चुनौती है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, जैसे कि चैटजीपीटी की मदद से नकली आधार और पैन कार्ड बनाए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट ने एआई के संभावित दुरुपयोग की क्षमता के बारे में नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। एक नए सर्वे में 51 फीसदी बिजनेस लीडर्स ने इसे प्राथमिक जोखिम माना। 'फिक्की-ईवाय रिस्क सर्वे 2026' की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। इसमें डिजिटल युग के बढ़ते खतरों पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी जोखिम अब सीधे कंपनी के कामकाज से जुड़ गए हैं। सर्वे के अनुसार, 61 फीसदी लोग साइबर हमलों से डरे हुए हैं। डेटा चोरी और धोखाधड़ी को 57 फीसदी ने बड़ा जोखिम माना। लगभग 47 फीसदी कंपनियां इन आधुनिक खतरों से निपटने में नाकाम हैं। साइबर हमलों से कंपनियों की प्रतिष्ठा और वित्त पर असर पड़ता है। डिजिटल बदलाव कंपनियों की प्रतिस्पर्धी स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। यह सर्वे 137 सीईओ और सीनियर डिसीजन-मेकर्स पर आधारित है। इसमें 21 फीसदी प्रतिभागी टेक्नोलॉजी सेक्टर से थे। प्रोफेशनल सर्विसेज दूसरे नंबर पर। साइबर अटैक अब सिर्फ आईटी मुद्दा नहीं। यह ऑपरेशनल कंटिन्यूटी से जुड़ा है। 61 फीसदी लीडर्स मानते हैं कि साइबर हमले वित्तीय और रेपुटेशनल खतरा हैं। तेज टेक्नोलॉजिकल बदलावों को 61 फीसदी कंपनियां प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाला मान रहे हैं। सर्वे के अनुसार, आज के दौर में एआई एक 'दोधारी तलवार' बन गया है। करीब 60 फीसदी विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी पिछड़ापन घातक है। सही समय पर नई तकनीक न अपनाना नुकसानदेह हो सकता है। वहीं, 54 फीसदी लोग एआई के एथिकल और गवर्नेंस संबंधी जोखिमों से चिंतित हैं। इन जोखिमों का प्रबंधन अभी भी प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है। ग्लोबल साइबरपीस समिट 2026 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार 2024–2025 के दौरान दर्ज साइबर हमलों में एआई और ऑटोमेशन का व्यापक इस्तेमाल देखने को मिला है। अब साइबर अपराधी किसी छोटे गैंग की तरह नहीं, बल्कि कंपनियों की तरह संगठित ढांचे में काम कर रहे हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य-पूर्व और भारत के कुछ हिस्सों से संचालित ये नेटवर्क अलग-अलग विभागों में बंटे हुए हैं। इन गिरोहों

के पास भर्ती करने वाली टीम, वेतन और प्रमोशन देखने वाले लोग और यहां तक कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी होती है। ये टीमें टेक्नोलॉजी की कमियों और इंसानी व्यवहार की कमजोरियों को खोजकर उनका फायदा उठाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में साइबर अपराध से दुनिया को लगभग 10.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान था, जो इस साल करीब 12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंकों का दावा है कि अब लगभग 80 प्रतिशत साइबर हमलों में किसी न किसी रूप में एआई की भूमिका है। एआई का इस्तेमाल अब डीपफेक तकनीक में भी हो रहा है।

डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में अपराधी किसी प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी का चेहरा और आवाज नकली तरीके से दिखाकर पीड़ित को डराते हैं, जिससे वह खुद को असली अधिकारी से बात करते हुए समझता है। साइबर अपराध में अब ट्रिपल एक्सटॉर्शन मॉडल भी सामने आया है। इसमें पहले रैनसमवेयर से डेटा लॉक किया जाता है फिर उसे लीक करने की धमकी देकर पैसे वसूले जाते हैं। इसके अलावा क्राइम-एस-ए-सर्विस का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें संगठित गिरोह उन लोगों को भी अपराध की सुविधा देते हैं जिनके पास तकनीकी जानकारी नहीं होती। यानी पैसे दो और तैयार साइबर क्राइम सेवा लो। इस तरह के मामलों में कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तक ठगी का शिकार हो चुके हैं। साफ है कि एआई ने साइबर अपराध को पहले से कहीं ज्यादा संगठित तेज और खतरनाक बना दिया है। वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तो कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन इन्हें किस हद तक इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए, इसके लिए नियम-कानूनों का अभाव है। हमारा देश और दुनिया भी एआई के बढ़ते कदमों और उसके प्रभावों को लेकर गंभीर है। इसी क्रम में दिल्ली के भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' का आगाज हो रहा है। 20 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में दुनिया की 300 से ज्यादा कंपनियां भविष्य की तकनीक दिखाएंगी। खेती से लेकर सेहत तक, एआई आपकी जिंदगी को कैसे आसान बनाएगा, इसकी पूरी झलक यहां देखने को मिलेगी। आईटी के नए नियमों का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब एआई से बने कंटेंट को छिपाना आसान नहीं रहेगा। लेबलिंग व डिजिटल पहचान चिह्न से आम व्यक्ति यह समझ सकेगा कि उसके सामने मौजूद सामग्री वास्तविक है या तकनीक से तैयार की गई है। इससे सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक अभियानों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। चुनाव, सामाजिक मुद्दों और संवेदनशील घटनाओं के दौरान यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी सुरक्षित रखने में सहायक होगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। इन तमाम बातों के बीच सवाल यह भी है कि सिर्फ नियम-कायदे बनाना ही काफी नहीं, बल्कि इन्हें सख्ती से लागू करना भी जरूरी है। वैसे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की संख्या और कंटेंट की मात्रा इतनी अधिक है कि केवल नियमों के सहारे नियंत्रण करना आसान नहीं होगा। इसके लिए तकनीकी निगरानी तंत्र को मजबूत करना, प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करना और उल्लंघन की स्थिति में त्वरित दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। क्योंकि यदि नियमों का पालन ढीला रहा, तो इनका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसके साथ ही नागरिकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है।

लोगों को यह समझना होगा कि हर वायरल वीडियो या तस्वीर सत्य नहीं होती। जागरूक उपयोगकर्ता ही फेक कंटेंट की श्रृंखला को तोड़ सकता है। सरकार, सोशल मीडिया कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। भ्रमजाल फैलने से रोकने के लिए सरकार और समाज दोनों के साझा प्रयासों की दरकार है। साझे प्रयासों से ही एआई का सकारात्मक लाभ हम उठा सकते हैं। वरना हमारी सुविधा के लिए बनी तकनीक हमारे लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सारा संसार

मसानी अम्मन मंदिर मसानी देवी को समर्पित एक मंदिर है, जिन्हें शक्ति देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह कोयंबटूर जिले के अन्नामलाई के पंचायत शहर में स्थित है, इसे अरुलमिगु मसानी अम्मन मंदिर या अन्नामलाई मसानी अम्मान मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर बेहद ही आध्यात्मिक है, जिस वजह से लोग यहां खिचे चले आते हैं।

दर्शन (संकलित)

आनंद आपके भीतर है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं

कल्पना क्या है और सच्चाई क्या है! इसे समझने के लिए आपकी जड़ का मजबूत होना जरूरी है। सारी कल्पनाएं आपके अंदर हैं। यह कल्पना नहीं है, यह सच है। कल्पना में डूबना बड़ा आसान है, सच्चाई को जानना बहुत मुश्किल है। जिसको आप खोज रहे हैं, वह आपके अंदर है। उसे जानिए, पहचानिए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि उसमें सबकुछ है। जो आपके भीतर है, वह है शांति। किसी चीज का न होना शांति नहीं है। किसी चीज का होना शांति है। जब मनुष्य खुद को जानेगा, खुद को समझेगा, तब उसके जीवन में शांति होगी। जैसे भोजन खा लेने पर भूख खत्म होती है, उसी प्रकार खुद को जान लेने पर तृष्णा मिट जाती है। शांति मिल जाती है। सोचें कि यह शरीर आपको क्यों मिला है? जिन तत्त्वों से शरीर बना है, वे सारे तत्त्व वहीं वापस चले जाएंगे जहां से ये आये थे। जिस तरह पानी, पानी में मिल जाता है। सारी चीजें प्रकृति में घुल जाएंगी। क्या समझते हैं आप कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस धरती का वजन बढ़ता है! या जब कोई मर जाता है तो इस धरती का वजन कम होता है! वजन न तो बढ़ता है न कम होता है। क्योंकि जिन चीजों से आप बने हुए हैं वे तो अभी यहीं हैं। परंतु क्या आपने उस चीज को जाना, समझा जो आपके शरीर के अंदर है? इसे जान गए, पहचान गए, फिर आनंद ही आनंद है। आपका नाम आपके शरीर का नाम है। नाम कमाने से क्या होगा। नाम नहीं, ज्ञान कमाइये। आनंद कमाइए। ये आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जहां जाएंगे, वहां ले जा सकते हैं।

प्रेरणा (संकलित)

रावण की वजह से बना बैद्यनाथ मंदिर

त्रेता युग की घटना है। रावण शिव जी का परम भक्त था। रावण ने हिमालय क्षेत्र में शिवलिंग बनाकर कठोर तप किया था। इस तप से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान ने रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने शिव जी से कहा कि मैं आपका ये शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता हूं। शिव जी ने रावण की इच्छा पूरी होने का वरदान दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहां रख दोगे, शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। इसके बाद तुम ये शिवलिंग आगे नहीं ले जा पाओगे। रावण ने शिव जी का बात मान ली और शिवलिंग उठाकर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में रावण ने गलती से एक जगह शिवलिंग रख दिया। थोड़ी देर बाद वह शिवलिंग फिर से उठाने लगा, लेकिन शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रावन शिवलिंग को उठा नहीं सका। अंत में हिम्मत हारकर रावण वहां से चला गया। रावण के जाने के बाद सभी देवी-देवता, ऋषि-मुनि और अन्य लोग इस शिवलिंग के पास पहुंचे और शिव पूजा की। सभी की पूजा से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। सभी भक्तों ने शिव जी से प्रार्थना की कि अब से वे यहीं निवास करें, ताकि भक्त आसानी से दर्शन-पूजन कर सके और उनका कल्याण हो सके। भक्तों की बात सुनकर शिव जी इसी शिवलिंग में ज्योति स्वरूप में विराजित हो गए। बाद ये ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सरोकार

योगेंद्र माथुर

शादी ब्याह में आर्थिक संपन्नता के प्रदर्शन की होड़, अन्न का अपमान

विगत दिनों जब शादी-ब्याह का सिलसिला पुनः चालू हुआ तो मुझे भी एक के बाद एक कई शादियों में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। शादी-ब्याह की इस धूमधाम में जाहिर है हमेशा की तरह ही ऐश्वर्य और विलासिता के भरपूर दर्शन हुए। 'तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे?' की तर्ज पर होने वाली होड़ में आयोजक अपनी क्षमता से अधिक पैसा खर्च करते नजर आए। परिणय स्थल यथा- गार्डन, धर्मशाला, लॉज-होटल की चमक बढ़ाने की गरज से टेंट व विद्युत साज-सज्जा पर पैसा पानी की तरह बहता दिखाई दिया। समारोह पांडाल की साज-सज्जा तो ठीक भोजन को भी अपनी सामर्थ्य के प्रदर्शन का माध्यम बना लिया गया हो, ऐसा लगा। भोजन में कुछ नया या नई वैरायटी परोसने की होड़ में निर्मित व्यंजनों का आंकड़ा 56 के भी पार जाता नजर आया। सभी व्यंजनों के नाम तो शायद आयोजक को भी मालूम नहीं होंगे। अब भला खाने वाले 4-5 व्यंजनों से अधिक का स्वाद चख पाएं, न चख पाएं या फिर प्लेट में छोड़ते नजर आएं, आयोजक की आर्थिक संपन्नता का प्रदर्शन तो हो ही गया। कहने या बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे शादी समारोह में धन के साथ अन्न का भी अपव्यय होना तय है। आप सोचिए, क्या कोई मेहमान चाहकर भी भोजन के अपव्यय को रोक पाएगा? समझदारी दिखाकर वह इतने अधिक पकवानों में से कुछ का स्वाद न भी चखे अथवा प्रत्येक पकवान का एक या आधा टुकड़ा ले तो भी कुछ मात्रा में ही सही भोजन का अपव्यय निश्चित है। हालांकि सभी मेहमानों से इतनी समझदारी की उम्मीद लगाना भी बेमानी ही होगा। हमारे देश में जब से 'बुफे' संस्कृति का विस्तार हुआ है, भोजन का अपव्यय भी बढ़ा है। इसमें बुफे संस्कृति की बुराई जैसी कोई बात नहीं है। कमी हममें ही है क्योंकि इसके सही तौर-तरीकों के पालन के संस्कार हमारे यहां नहीं पनप पाए हैं। प्रायः शादी समारोह में यही देखने में आता है कि लोग प्लेट में खाना लेते समय, बाद में मिलेगा या बचेगा कि नहीं की सोच के चलते अपनी प्लेट में एक साथ अधिकाधिक खाद्य सामग्री रख तो लेते हैं किंतु बाद में अधिकांश लोग 'जूठन' के रूप में छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में 56 या अधिक पकवान बन जाएं तो भोजन की बर्बादी को कौन रोक सकता है? हमारी संस्कृति में अन्न के एक-एक दाने का महत्व बताया गया है और अन्न को देवतुल्य माना गया है। ऐसी स्थिति में शादी समारोह में भोजन का 'जूठन' के रूप में फिकना क्या अन्न का तिरस्कार या देवता का अपमान नहीं है? जिस देश में बच्चे भुखमरी व कुपोषण का शिकार बन कर असमय दम तोड़ रहे हों, उस देश में अन्न को अपनी सम्पन्नता के प्रदर्शन का माध्यम बनाना कहां तक उचित है? वैवाहिक आयोजनों के माध्यम से दूसरों की अपेक्षा अपने को कहीं अधिक बड़ा, समर्थ, सक्षम व सम्पन्न बताने की यह अंधी होड़ निश्चित ही बेहद खतरनाक है। उधार का घी पीकर अपनी सम्पन्नता दर्शाने की प्रवृत्ति तो निश्चित ही व्यक्ति, परिवार व समाज को पतन की ओर ले जाने वाली है। वर्तमान चार दिन की चकाचौंध भविष्य को गहरे अंधकार में धकेलने वाली है। अंधानुकरण की इस होड़ से हमें समाज को बचाना होगा और यह हम तभी कर पाएंगे या समाज को कोई संदेश दे पाएंगे, जब हम अपने से ही इसकी शुरुआत करेंगे। बेहतर होगा कि हम हमारे घर-परिवार में होने वाले वैवाहिक आयोजन सादगीपूर्ण व गरिमा के साथ आयोजित करें और विवाह समारोह की चकाचौंध पर होने वाले खर्च से 'परिणय-सूत्र' में आबद्ध हो रहे जोड़े के भविष्य को रोशन करें।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अंतर्मन

आज की पाती

स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग

कुछ कथित उच्च शिक्षित, जाहिल, गंवार लोग जब सार्वजनिक रूप से (विशेषकर सोशल मीडिया पर) सड़कछाप व्यवहार करने लगते हैं तो ऐसे मूर्ख लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसी क्षण खत्म हो जाती है। कला और विचार प्रकट करने की आजादी के नाम पर किसी को भी देश, समाज में अश्लीलता फैलाने के उपद्रव को दुनिया का कोई भी सभ्य-सुसंस्कृत संविधान कभी कोई स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करता। ऐसे सर्वथा अवांछित, अप्रिय, समाज विरोधी कार्य करने वालों का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करने वाले सभी आधुनिक मनोरोगी भी उतने ही बड़े अपराधी माने जाने चाहिए। सिर्फ मजाक के नाम पर ही नहीं, कई बार गंभीर मुद्रा में प्रदर्शन करते हुए भी कुछ पॉडकास्ट पर दुर्जन लोग गंदी, अश्लील, अभद्र, अशोभनीय बातें करते हैं। आजादी का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। *- संदीप सरकार, बिलासपुर*

करंट अफेयर

महिला के गरिमा को ठोस एनआरआई को मिली जेल

सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसके खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग करने के जुर्म में पांच महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। 'द स्ट्रेट्स टाइम्स' अखबार में सोमवार को प्रकाशित खबर में यह जानकारी दी गई। खबर के मुताबिक, शुक्रवार को सजा के एलान के दौरान अदालत ने कहा कि 42 वर्षीय ओम कुमार राय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। खबर में कहा गया है कि अदालती दस्तावेज से पीड़िता का नाम और घटनास्थल का विवरण हटा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि राय 22 वर्षीय पीड़िता के पिता का सहकर्मी है और वह 17 जून 2025 को तड़के पीड़िता से मिलने पहुंचा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राय पीड़िता को बातचीत के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता राय को धक्का देकर उसके चंगुल से भागने में सफल रही और अपने माता-पिता को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद उन्होंने उसी दिन सुबह नौ बजे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अभियोजकों ने राय को पांच से छह महीने की जेल की सजा देने का अनुरोध किया था।

ऑफ बीट

नियमित व्यायाम डिमेंशिया से बचाव में है कारगर

जैसे-जैसे डिमेंशिया के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे-वैसे रोकथाम के उपाय जानने की दिलचस्पी में भी इजाफा हो रहा है। मीडिया में आई खबरों में नियमित व्यायाम, स्वस्थ खानपान, दिमागी कसरत और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी को डिमेंशिया के जोखिम में कमी लाने के लिए कारगर बताया गया है। डिमेंशिया तंत्रिका-तंत्र से जुड़ा एक विकार है, जिसमें याददाश्त, सोचने-समझने एवं फैसले लेने की शक्ति और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। अल्जाइमर (मस्तिष्क के अंदर और उसके आसपास की कोशिकाओं में एमिलॉयड नाम के प्रोटीन के थक्के जमने से होने वाला डिमेंशिया) को डिमेंशिया का सबसे आम स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर 'वैस्कुलर डिमेंशिया' (मस्तिष्क में खून का प्रवाह धीमा पड़ने के कारण होने वाला डिमेंशिया) और 'लेवी बॉडी डिमेंशिया' (मस्तिष्क में 'लेवी बॉडी' नाम के प्रोटीन के थक्के जमने से होने वाला डिमेंशिया) के मामले भी सामने आते हैं। डिमेंशिया में तंत्रिका-तंत्र की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे उनमें संचार की प्रक्रिया प्रभावित होती है और व्यक्ति को भ्रम, भूलने की बीमारी और व्यवहार में बदलाव की शिकायत सता सकती है।

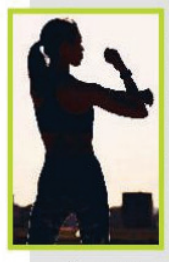

X ट्रेंड f

देश तेजी से प्रगति कर रहा

यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए दुनियाभर से लोग भारत आ रहे हैं। इससे हमारे युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है। यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। **-नरेंद्र मोदी**, प्रधानमंत्री

दिल्ली की सुरक्षा होगी सुदृढ़

दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में आज दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में ₹857 करोड़ की लागत से निर्मित 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' का लोकार्पण किया। साथ ही, ₹368 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का ई-शिलान्यास किया। **-अमित शाह**, गृहमंत्री

शंकर से प्रेरणा लेती है सेना

सैनिकों के अंदर की भावना हमारी संस्कृति से, भगवान शिव की प्रेरणा से आती है। डर से समाज लंबे समय तक सुरक्षित नहीं हो सकता। एक निडर समाज ही मजबूत राष्ट्र बना सकता है। निडरता आध्यात्मिकता से आती है। **-राजनाथ सिंह**, रक्षामंत्री

गिग वर्कर को मिले सुरक्षा

'कुछ दिन पहले जनसंसद में गिग वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई। बातचीत से साफ हुआ कि गिग अर्थव्यवस्था के फायदे मजदूरों तक पहुंचाने के लिए मजबूत और जिम्मेदार सरकारी कार्रवाई ज़रूरी है। महिला गिग वर्कर दोहरे शोषण का शिकार है, आर्थिक असुरक्षा के साथ-साथ सम्मान और सुरक्षा का अभाव। **-राहुल गांधी**, कांग्रेस सांसद

राहुल गांधी व अखिलेश यादव की दृष्टि नकारात्मक, उन्हें कोई संतुष्ट नहीं कर सकताः योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बढ़ते बजट और विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सोच को नकारात्मक बताते हुए कहा कि वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते।

इस बार 9 लाख, 12 हजार 600 करोड़ से ज्यादा का बजट

एजेंसी ⏭ लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी मंगलवार को एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में बात करते हुए उन्होंने दोनों को नकारात्मक सोच वाला बताया। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में डबल इंडिन की सरकार बनी, तब तक 2016-17 में पिछली सरकार ने 3 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। उन्होंने कहा, आज उत्तर प्रदेश विकास के रथ पर सवार है और इस साल हमने इस बार 9 लाख, 12 हजार 600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है।

'जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि

सीएम योगी ने 'जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि' मुहावरे का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी दृष्टि में ही खोट है। उनकी दृष्टि देश के लिए कभी भी सकारात्मक नहीं थी, बल्कि नकारात्मक ही है। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली सरकारों ने यूपी को बहुत खराब स्थिति में पहुंचा दिया था। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शन में हम यूपी को विकास के रास्ते पर लेकर आए हैं। योगी ने कहा कि आजादी के बाद साल 1950 तक भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 14 फीसद था। उन्होंने प्रश्न करने के अंदाज में पूछा कि इन 70 वर्षों में ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि यूपी का योगदान लगातार कम होता गया और 2017 तक आते-आते यूपी का भारत की इकोनॉमी में योगदान मात्र 8 फीसद रह गया।

'उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था और है'

सीएम ने कहा कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हमेशा से अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था, यह बीमारू राज्य नहीं था। पहले की सरकारों ने प्रदेश की इस तरह की छवि बना रखी थी। जब पात्र लोगों के हाथों में सत्ता आई तो विकास दिखने भी लगा। सीएम योगी ने कहा कि कुपात्रों ने इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को रसातल की ओर ले जाने का काम किया।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी, जिला जशपुर (छ.ग.)
ईश्तहार
क्रमांक / 908 / वाचक-2/अपर कले. /2026
जशपुर, दिनांक 16/02/2026

सर्व साधारण को इस ईश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक तेलेस्फोर एक्का पिता श्री मथिअस एक्का, उम्र 66 वर्ष, जाति उरांव, साकिन हल्दीमुण्डा, चौकी करडेगा, तहसील कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.) एवं आवेदिका श्रीमती राजमणि एक्का पिता श्री मथियस एक्का, उम्र 59 वर्ष, जाति उरांव, ग्राम बाबू साजबहार, थाना तपकरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग.) द्वितीय पक्ष ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उनके बीच विवाह पंजीयन कर प्रमाण-पत्र प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 16/03/2026 को दोपहर 03:00 बजे मेरे न्यायालय में होगी। उभयपक्ष के विवाह पंजीयन के संबंध में जिस किसी को आपत्ति करना हो तो निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जायेगी। आज दिनांक 16/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह
अधिकारी, जिला जशपुर (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025 26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण मो० शहाबुद्दीन आ0 स्व.मो० कमरूजमा, उम्र 59 वर्ष, मो० असफाक कमर आ.स्व. मो० कमरूजमा, उम्र 49 वर्ष दोनों जाति मुसलमान, निवासी मोमिनपुरा अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण की माता कौशर कमर पत्नि मो० कमरूजमा के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, शीट नं. 08 मोहल्ला पररार्डांड स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 2484/9 रकबा 0.06 एकड भूमि है। आवेदकगण की माता कौशर कमर की मृत्यु दिनांक 05/05/2021 को हो गई है जिस कारण उक्त भूखण्ड से उनका नाम विलोपित कर फौति नामांतरण के आधार पर स्वयं के नाम से उक्त भूखण्ड का रिकार्ड दुरुस्त किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06/03/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दाग/अपाती पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 16/02/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः 202602020700145

विषयः व-121
मामले की श्रेणी राजस्व
सनः-2025-2026
नमनाकला प.ह.न. 00020 [(है०)]
पक्षकारों का विवरण आवेदक पक्षकार बृजबिहारी.
अनावेदक पक्षकार छ०ग० शासन

ईश्तहार

आवेदक बृजबिहारी आ० मोतीचन्द्र निवासी नमनाकला, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नमनाकला स्थित खसरा नंबर 451/4 रकबा 0.010 हे० भूमि के राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.010 हे० भूमि के स्थान पर त्रुटिवश रकबा 0.011 हे० दर्ज हो गया है, जबकि वास्तविक रकबा 0.010 हे० है। आवेदक के द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है. जो जाँच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 06/03/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वप अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 10/02/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
तहसील- अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नरेश कुमार मौर्य पिता पुरूषोतमलाल जाति जाटव निवासी फुन्दुरडिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम फुन्दुरडिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 160/45 रकबा 0.020 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 09/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 30/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा)अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र ब/121 वर्ष
ग्राम प.ह.न.15
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामदास पिता केवला जाति पनिका निवासी ग्राम रगदा .प.ह.न.15.रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक स्वयं रामदास का जन्म दिनांक 08/10/1958 को ग्राम रगदा में हुई है, अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपना स्वयं रामदास जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत रगदा को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 25/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।आज दिनांक 09/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र ब/121 वर्ष
ग्राम डबरीपारा प.ह.न. 07
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पहलाद साहू पिता राजेन्द्र प्रसाद? जाति तेली निवासी ग्राम डबरीपारा प.ह.न. 07 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र विकास साहू का जन्म दिनांक 04/08/2011 को ग्राम डबरीपारा में हुई है, अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र विकास साहू का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत डबरीपारा को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 25/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 22/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार
भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः 202602020700186/

विषयः- अ-6
मामले की श्रेणीः राजस्व
सनः- 2025-2026
सुभाषनगर प.ह.न. 000171113/10(0.02800)]
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार ब्रिजेश पटेल,
अनावेदक पक्षकार कविता पटेल

ईश्तहार

आवेदक ब्रिजेश पटेल पिता गोदावली प्रसाद पटेल निवासी डाडकरवा रेवती तहसील प्रतापपुर तहसील सूरजपुर छ०म० के द्वारा चाम सुभाषनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 113/10 रकबा 0.028 हे० भूमि के राजस्व अभिलेखों में पंजीबद्ध दान पत्र दिनांक 21/08/2025 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनाक 11/03/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद ग्राडा दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17/02/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार तहसील
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०/ब-121/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कमला सिसोदिया पति स्व० पीताम्बर सिंह सिसोदिया निवासी साई मंदिर रोड भगवानपुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित खसरा नंबर 2/139 रकबा 0.022 हे0 भूमि को अनावेदक नितेश मेहता पिता मधुसूदन मेहता निवास साई रेसीडेंसी भगवानपुरखुर्द तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के पास अंकन राषि रुपए 7,00,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई व्यम से इस न्यायालय में दनांक 11/03/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः- 18/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०/अ-6/2025 26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण खाखु उर्फ विजय आ० लवकुश, उम्र 30 वर्ष, सरिता पति स्व. गुलाब, उम्र 50 वर्ष रवि आ०स्व० बसंत, उम्र 35 वर्ष, कमल आ.स्व. लेखराम, उम्र 60 वर्ष, मदन आ.स्व. केन्दवा उम्र 50 वर्ष मात्तो बाई उर्फ राधा आ.स्व. बोकोराम उम्र 70 वर्ष, जीवंती पति स्व. पिन्टा, उम्र 62 वर्ष सभी निवासी मायापुर अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है. कि नगर अम्बिकापुर शीट नं. 03 स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 1503, 1504 रकबा क्रमशः 0.04, 023 एकड भूमि आवेदकगण की माता श्रीमती ननकी उर्फ गुड्डी टोप्पो, पति स्व. गुलाब, पिता स्व बसंत, दादा स्व. धोधो राम, माता स्व. फुलकुमारी बाई पति स्व. केन्दवा, पिता स्व. बोको राम, दादा स्व हवा राम, पत्ति स्वः पिन्टा, भाई स्व अरूण लकडा एवं दादा स्व. कंवला राम के सयुका स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है। श्रीमती ननकी उर्फ गुड्डी टोप्पो, पति स्व. गुलाब, पिता स्व बसंत, दादा स्व. धोधो राम, माता स्व. फुलकुमारी बाई पति स्व. केन्दवा, पिता स्व. बोको राम, दादा स्वः हवा राम, पत्ति स्व. पिन्टा, भाई स्व. अरूण लकड़ा एवं दादा स्व. केवला राम की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण उक्त नजूल भूमि प्लॉट नंबर 1503, 1504 रकबा क्रमशः 0.04, 0.23 एकड भूमि क नजूल अभिलेख से उपर वर्णित मृत्तक भूधारकों का नाम विलोपित कर फौति नामातरण के आधार पर उनके उत्तराधिकारियों का नाम फौति नामांतरण के आधार पर दर्ज किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा मृत्तक भूधारकों के मृत्यु प्रमाण पत्र मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अनतर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनाक 06/03/ 2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।आज दिनांक 16/02/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) भैयाथान, जिला सूरजपुर (छ०ग०)
-ईश्तहार-

एतद् द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम पंचायत सलका जिला सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि देवेंद्र कुमार गुप्ता पिता/ गिरिश कुमार गुप्ता निवासी सलका के अपने स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि खसरा नं० 29/2 रकबा 0.06 हे० जो ग्राम सलका प.ह.नं 22 रा०नि०म० भटगांव तहसील भटगांव जिला सूरजपुर में स्थित है के आवासीय मे भू-परिवर्तन (डायवर्सन) हेतु इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है अतः उक्त संबंध में ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका निगम क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रकरण में नियत दिनांक 26/02/2026 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति पेश कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।आज दिनांक/01/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलय की मुद्रा से जारी किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
भैयाथान जिला-सूरजपुर (छ०ग०)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र ब/121 वर्ष
ग्राम प.ह.न. 14
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नरेश कुमार पिता स्व. करन साय जाति रजवार निवासी ग्राम सिरसी प.ह.न. 14 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पिता स्व.करन साय का जन्म/मृत्यु दिनांक 11/05/2014 को ग्राम सिरसी में हुई है। अज्ञानतावश जन्म/मृत्यु पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पिता स्व. करन साय का जन्म/मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत सिरसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 25/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 09/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर

बनवासी सेवा आश्रम में तीन दिवसीय सहजीवन शिविर का हुआ आयोजन

जुगैल/सोनभद्र। बनवासी सेवा आश्रम शाखा जुगैल में तीन दिवसीय किशोर किशोरी सहजीवन शिविर का आयोजित हुआ सबसे पुरानी सस्था जो 1954 से लगातार सोनभद्र के 6 ब्लाको के 445 गांवों में काम करती है। संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य,के साथ-साथ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किशोर किशोरियों साहजीवन शिविर में स्वालंबन, स्वरोजगार,क्षेत्र का इतिहास वर्तमान पर्यावरण स्थिति, पंचायती राज अपनी सरकार, महिला पुरुष सामान्य जैसे मुख्य विषयों पर राष्ट्रीय ध्वज बांधना और कब-कब फहराया जाता है। जैविक खेती के लिए कंम्पोस्ट खाद बनाना,स्वास्थ्य के लिए योगा सामुदायिक श्रमदान के माध्यम से बच्चों में जीवन कौशिक की विकास करना। मुख्य उद्देश्य है। वनवासी सेवा आश्रम जुगैल शाखा प्रबंधक चौबे जी ने किशोर किशोरी शिविर प्रशिक्षण चलाया जा रहा है जिसमें ग्राम जुगैल के 40 बच्चे जिसमें बालक बालिका, एक प्रशिक्षित टीम है जिसमें वनवासी सेवा आश्रम की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण में मुख्य भूमिका भविष्य में आदर्श नागरिक सहजीवन किशोरी बच्चों में नैतिकता का विकास हो पारिवारिक भूमिका हो जो आज लिंग भेद भाव बढ़ रहा है वह एक समानांतर दिशा में साथ ही साथ गांव घर की व्यवस्था एवं पंचायत राज में हमारे बच्चों की या आम नागरिकों की क्या भूमिका है इस उद्देश्य से यह शिविर चलाए जा रहा है। प्रेम दयाल निषाद ने ग्राम जुगैल के बच्चे जो अलग-अलग टोल से आए हुए हैं जिनकी इनकी संख्या जो है 44 है लड़के लड़कियां इसमें दोनों है तो आप जैसा कि मेरे बैनर में देख रहे हैं किशोर किशोरी सहजीवन शिविर लिखा हुआ है यह तीन दिवसीय कार्यक्रम है इसमें सारे लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव ना रहते हुए सब लोग साथ में मिलजुल करके सारे एक्टिविटी को करते हैं।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बगीचा, जिला-जशपुर (छ०ग०)
कमांक/रीडर-1/2026
ईश्तहार

एतद् द्वारा समस्त आम जनता ग्राम पंचायत सिहारबुड तहसील बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग) को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमित कुजूर पिता अरूण कुमार क्षितिपाल कुजूर जाति उराव निवासी ग्राम कासावेल तहसील कासावेल जिला-जशपुर (छ०ग०) द्वारा भूमि ग्राम सिहारबुड प.ह.न 12 में स्थित खसरा 364/23 रकबा 0.037 है. भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है। आवेदक को उक्त भूमि रजिस्ट्री से प्राप्त भूमि है। आवेदक उक्त भूमि को कृषि प्रयोजन से व्यवसायिक प्रयोजन हेतु परिवर्तन कराना चाहता है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि को कृषि प्रयोजन से व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित करने हेतु छ.ग भू-राजस्य सहिता 1959 की धारा 172 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ आवेदित भूमि का बी-1, खसरा, नक्शा सलग्न है। उक्त मामले की सुनवाई दिनाक 20/02/2026 को न्यायालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से साय 5:30 तक स्थान अनुविभागीय अधिकारी (रा) बगीचा के न्यायालय में होना नियत किया गया है। अंत इसमे जिस किसी भी व्यक्ति को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह स्वय अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनाक 04/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
सक्षम प्राधिकारी बगीचा
जिला जशपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बगीचा, जिला-जशपुर (छ०ग०)
ईश्तहार
क्रमांक//रीडर-1/2025

एउद् द्वारा समस्त आम जनता ग्राम पंचायत कासाबेल तहसील कासाबेल जिला-जशपुर (छ०ग०) को सूचित किया जाता है कि आवेदक अवित कुजूर पिता अरुण कुमार क्षितिपाल जाति उराव निवासी ग्राम कासाबेल तहसील कासाबेल जिला-जशपुर (छ०ग०) द्वारा ग्राम कासबेल प.ह.न. 04 में स्थित खसरा क्रमांक 438/6 रकबा 0.028 हे० भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है। आवेदक को उक्त भूमि रजिस्ट्री बैनामा के माध्यम से प्राप्त हुई है। तथा भूमि को कृषि प्रयोजन से आवासीय प्रयोजन मे व्यापवर्तन कराना चाहता है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित करने हेतु (छ०ग०) भू-राजस्व सहिता 1958 की धारा 172 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ उक्त भूमि का बी रजिस्ट्री बैनामा की छायाप्रति है। उक्त मामले की सुनवाई दिनाक 20/02/2026 की न्यायालयीन समय प्रथा 10:30 बजे से सायं 5: 30 तक स्थान अनुविभागीय अधिकारी (रा) बगीचा के न्यायालय में होना नियत किया गया है। इसमें जिस किसी भी व्यक्ति को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह स्वंय अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है नियत तिथि एवम समय के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 04/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एच न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।अनुविभागीय अधिकारी (रा)

सक्षम प्राधिकारी - बगीचा
जिला-जशपुर (छ०ग०)

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०
ईश्तहार
रा०प्र०क्र /अ-6/2025-26

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका नीतू अग्रवाल पत्नि आशीष कुमार अग्रवाल, उम्र 44 वर्ष, निवासी हाउस नं0 1/10 खरसिया रोड, अग्रसेन चौक अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि अनावेदक वंश अग्रवाल आ० आशीष कुमार अग्रवाल, निवासी वार्ड क्र. 37 खरसिया रोड अग्रसेन चौक, फिलिप शोरूम के बगल में अम्बिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा स्वयं के स्वामित्व व अधिपत्य की मोहल्ला खरसिया रोड़ नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूमि भूखण्ड क्र. 2822/4859/13 रकबा 0.05 1/4 एकड भूमि का पंजीबद्ध दान पत्र दिनांक 04/02/2026 का निष्पादन आवेदिका के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध दान पत्र के आधार पर सम्त दानशुदा भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत चारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपरित से तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनाक 06/03/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपात पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 16/02/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र ब/121 वर्ष
ग्राम - डबरीपारा प्र.ह.न. 07
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पहलाद साहू पिता राजेन्द्र साहू जाती तेली निवासी ग्राम डबरीपारा प.ह.न 07 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र आकाश साहू का जन्म दिनांक 02/02/2010 को ग्राम डबरीपारा में हुई है।अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र आकाश साहू का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत डबरीपारा को आदेशित करने आवेदन पेश किया है।जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 25/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 22/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार
भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025 26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आलोक दारा आ स्व. निताई दास, उम्र-43 वर्ष, निवासी खजूरपारा अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदिका द्वारा अनावेदिका ज्योति केशरी पति जय प्रकाश केशरी, उम्र 37 वर्ष निवासी ब्रम्हरोड़ अम्बिकापुर जिला सरगुजा के स्वामित्व व अधिपत्य की मोहल्ला खजूरपारा नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूमि भूखण्ड क. 3051 रकबा 002 एकड भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 28/01/2026 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः रामा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर उक्त क्रयशुदा भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भूः राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से रिसाव 06/03/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपात पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 16/02/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सावित्री शुक्ला पति कृष्ण अवतार शुक्ला निवासी वार्ड नंबर 06 पुररवी नेपाल गेट चरचा शिवपुर चरचा तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ०ग० के द्वारा ग्राम हर्राटिकरा स्थित खसरा नंबर 6/30 रकबा 0-121 हे0 भूमि में से रकबा 19 डिसमिल भूमि को अनावेदक पार्वती साहू पति शिवशंकर साहू निवासी मणीपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग) के पास अंकन राषि रुपए 8,00,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 11/03/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 09/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी तहसीलदार

अम्बिकापुर

जनगणना-2027 राष्ट्र निर्माण की आधारशिला : विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का किया आह्वान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। भारत की जनगणना-2027 के सफल संचालन के लिए आयोजित राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। जनगणना प्रशासन की विश्वसनीयता और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आंकड़े अधूरे या त्रुटिपूर्ण होंगे तो विकास योजनाओं का लक्ष्य प्रभावित होगा। एक भी व्यक्ति या परिवार छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे विकास की प्रक्रिया अधूरी रह सकती है। उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी होगी। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। यह कार्य प्रदेश के 33 जिलों, 252 तहसीलों और 19,978 गाँवों में संपन्न किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-गणना की सुविधा से जनभागीदारी बढ़ेगी और जनता का विश्वास ही जनगणना की

सफलता का आधार है। यह कार्य विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत-2047 की नींव रखने वाला सिद्ध होगा। प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें तथ्यों का व्यवस्थित एवं प्रमाणिक संकलन किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों से सभी निर्धारित कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रगणकों के प्रशिक्षण में सपोर्टिव सुपरविजन की तकनीक अपनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिलना चाहिए, जिससे त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो। उन्होंने नई भवन अनुज्ञाओं को पूर्व से ही ट्रेस करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि मकान सूचीकरण के दौरान कोई संरचना छूट न जाए। साथ ही सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में उन्होंने स्वयं के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा की अन्य राज्यों में चले गए व्यक्तियों की गणना में दोहराव से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना की सफलता सूक्ष्म योजना, समन्वय और सटीक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, इसलिए सभी अधिकारी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ इस राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करे। इस अवसर पर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि जनगणना विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय कार्यों में से एक है। यह हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है और नीति-निर्माण व विकास योजनाओं की दिशा तय करती है। उन्होंने बताया कि भारत में पहली संगठित जनगणना वर्ष 1872 में प्रारंभ हुई थी और आगामी जनगणना देश की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। उन्होंने कहा कि 150 वर्षों की परंपरा वाली भारतीय जनगणना गाँव, कस्बा और वार्ड स्तर तक प्राथमिक आँकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें मकानों की स्थिति, सुविधाएँ, परिसंपत्तियाँ, जनसांख्यिकीय विवरण, धर्म, अनुसूचित जाति-जनजाति, भाषा, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्रव्रजन एवं प्रजनन से संबंधित सूक्ष्म एवं विश्वसनीय आँकड़े संकलित किए जाते हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने कलेक्टरों को जनगणना-2027 से संबंधित कार्य के बारे में विस्तार से दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात, 80 वॉ महा- अधिवेशन का दिया न्यौता

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज महानदी भवन में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने 21 व 22 फरवरी 2026 को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम चाँपा (सैंहा)में आयोजित हो रहे 80 वॉ छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज महा-अधिवेशन के लिए निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, केन्द्रीय महामंत्री यशवंत सिंह वर्मा, कोषाध्यक्ष जागेश्वर बघेल, राज प्रधान बलौदाबाजार श्रीमती सुनीता वर्मा, चन्दखुरी चिन्ता राम वर्मा, रायपुर जगेश्वर प्रसाद वर्मा अर्जुन राज हरी राम वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा, रघुनंदन वर्मा सहित समाज के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी गण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज से लिया आशीर्वाद

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज रायपुर में परम पूज्य निरंजनी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के दिव्य दर्शन कर उनका स्नेहिल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि संत महापुरुषों का सान्निध्य समाज को सेवा, संस्कार और मानव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। उनके विचार समाज में

सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं तथा जनसेवा के कार्यों को अधिक समर्पण भाव से करने की शक्ति प्रदान करते हैं। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा हमारी सांस्कृतिक धरोहर की महत्वपूर्ण पहचान है।

सुप्रिया से प्रेरणा लेकर युवाओं को अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए: मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कार्यालय में सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया चौथा रैंक प्राप्त करने वाली मुंगेली की सुश्री सुप्रिया को सम्मानित किया। उन्होंने सुप्रिया और उनके परिजनों को पुष्पगुच्छ भेंटकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और मुँह मीठा कराया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुप्रिया की सफलता यह संदेश देती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास

ईमानदार हों, तो साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला युवा भी असाधारण उपलब्धि हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रिया का अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को सुप्रिया से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य पाने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर मुंगेली कलेक्टर कुन्दन कुमार भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि जिले के ग्राम टेढ़ाधौंरा की 23 वर्षीय सुप्रिया ठाकुर ने सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया चौथी रैंक प्राप्त कर मुंगेली जिला सहित राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। अपनी प्रतिभा, अनुशासन और देशसेवा के अटूट संकल्प के बल पर वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुई हैं। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर उन्हें मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी है। ग्राम टेढ़ाधौंरा निवासी सुप्रिया सिंह श्रीनेत एक किसान परिवार से आती हैं। उनकी माता श्रीमती संतोषी सिंह श्रीनेत और पिता वैदेही शरण सिंह, जो पेशे से किसान हैं, ने सदैव उन्हें शिक्षा और संस्कारों का मजबूत आधार दिया।

रोमांच और प्रकृति का संगम शिशुपाल पर्वत बना छत्तीसगढ़ का नया एडवेंचर हब

ट्रैकिंग, जलप्रपात और ऐतिहासिक विरासत के संगम से युवाओं में बढ़ी लोकप्रियता

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। यदि आप प्रकृति, पहाड़ और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो महासमुंद जिले के सरायपाली में स्थित शिशुपाल पर्वत आपके लिए एक शानदार पर्यटन स्थल हो सकता है। आजकल शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। यह स्थान अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। रायपुर से 157 किमी और सरायपाली से लगभग 20 किमी की दूरी पर स्थित यह पर्वत पर्यटकों को प्रकृति के करीब जाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है।

रोमांचक ट्रैकिंग का अनुभव

शिशुपाल पर्वत समुद्र तल से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

यहां तक पहुंचने के लिए रोमांचक ट्रैकिंग मार्ग है, जो साहसिक गतिविधियों के प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ट्रैकिंग मार्ग में जंगल, चट्टानें और प्राकृतिक पगडंडियां शामिल हैं। पर्वत के ऊपर एक विशाल मैदान है, जहां से वर्षा ऋतु के दौरान पानी 1100 फीट नीचे गिरता है और भव्य जलप्रपात का निर्माण करता है। यह दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहां की हरियाली और शांत वातावरण एक मनमोहक दृश्य का निर्माण करते हैं। पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। यहां पहुंचने वाले सैलानियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया गया।

प्राकृतिक सुंदरता और शांति

शिशुपाल पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहां का वातावरण, हरियाली और झरने पर्यटकों को मानसिक शांति और सुकून का अनुभव कराते हैं। यह स्थान फोटोग्राफी और प्रकृति के अद्भुत दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। शिशुपाल पर्वत न केवल रोमांचक ट्रैकिंग स्थल है, बल्कि इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम भी है। यहां ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक आकर्षण के कारण शिशुपाल पर्वत आज के दौर में पर्यटन का नया केंद्र बनता जा रहा है।

ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व

शिशुपाल पर्वत (बड़ा डोंगर) का नाम स्थानीय लोककथाओं से जुड़ा हुआ है। किंवदंती है कि इस पहाड़ पर कभी राजा शिशुपाल का महल हुआ करता था। यहां का गौरवशाली इतिहास रहा है। पर्वत पर ही जर्जर दुर्ग, प्राचीन मंदिर और तालाब के अवशेष आज भी अतीत की गाथा सुनाते हैं। जिनके अनुसार जब अंग्रेजों ने राजा को घेर लिया, तो उन्होंने वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने घोड़े के साथ पहाड़ी से छलांग लगा दी। इस घटना के कारण इस पर्वत का नाम शिशुपाल पर्वत और यहां स्थित झरने का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। यह जलप्रपात अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण अद्भुत सौंदर्य का अनुपम उदाहरण है।

रोजगार के नए अवसर

शिशुपाल पर्वत पर हर वर्ष मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। इस दौरान मंदिर के आसपास भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ मेले की चहल-पहल का आनंद लोग उठाते हैं। धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अद्भुत अनुभव इसे एक संपूर्ण पर्यटन स्थल बनाता है। यह मेला न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि दूर-दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहां रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

पर्यटन विकास की संभावनाएं

इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की पहल शासन द्वारा की जा रही है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में बांस से बनी हस्तशिल्प वस्तुएं भी पाई जाती हैं, जो स्थानीय लोगों की आय का प्रमुख जरिया बन सकती हैं। इसे एक पर्यटन परिपथ के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने 'विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा' का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के मोवा स्थित सतनाम भवन परिसर से विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्राह्व का शुभारंभ किया। उन्होंने धार्मिक विधि-विधान के साथ पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर पावन गिरौदपुरी धाम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पवित्र जैतखाम की पूजा-अर्चना कर गुरु घासीदास बाबा का पुण्य स्मरण किया तथा प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं और सामाजिक बंधुओं से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि गुरु घासीदास बाबा का मनखे-मनखे एक समानह्व का संदेश संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पदयात्रा समाज में सद्भावना, समरसता और भाईचारे को और सुदृढ़ करेगी। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक हितों को गति देने हेतु विशेष प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। पदयात्रा के उपरांत विशाल मेले के आयोजन की जानकारी भी उन्होंने दी। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि यह पदयात्रा सामाजिक समरसता, मानव कल्याण और एकता के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब, विधायक ललित चंद्राकर, विधायक मोतीलाल साहू, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, संत समाज के प्रतिनिधि एवं सर्व समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। गौरतलब है कि रायपुर से गिरौदपुरी धाम तक प्रस्तावित विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्राह्व का आयोजन 18 से 22 फरवरी 2026 तक किया जाएगा।

डिजिटल ऋण पुस्तिका राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी, सशक्त और नागरिक-केन्द्रित बनाने की दिशा में ठोस कदम-राजस्व मंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आज निवास कार्यालय में डिजिटल किसान किताब का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उमेश कुमार पटेल और श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली भाग 1से 4 पुस्तक का भी विमोचन किया गया। यह पहल राज्य के किसानों और भूमिधारकों को आधुनिक, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस अवसर पर संचालक

भू अभिलेख विनीत नन्दनवार सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। डिजिटल किसान किताब अब पारंपरिक मैन्युअल किसान किताब का स्थान लेगी। इसके माध्यम से किसानों को अपनी भूमि संबंधी जानकारी कभी भी और कहीं से भी ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा भुइया पोर्टल परबी-1 एवं पी-कक रिपोर्ट के साथ उपलब्ध रहेगी, जिसे किसान आसानी से देख और डाउनलोड कर सकेंगे। डिजिटल प्रणाली में आवश्यक विवरण स्वतः अपडेट होते रहेंगे, जिससे जानकारी संशोधन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त होगी।

खेल मड़ई से स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण संभव - मंत्री राजवाड़े

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मड़ई के अंतर्गत स्व० कुलदीप निगम स्मृति इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट में महिला पत्रकारों का फाइनल मुकाबला आज सुभाष स्टेडियम में उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। फाइनल मैच में शक्ति टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि तेजस्वी टीम उपविजेता रही। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विजेता शक्ति टीम और उपविजेता तेजस्वी टीम को बधाई देते हुए दोनों टीमों के लिए 21-21 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। महिला एवं बाल

विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण की आधारशिला हैं। पत्रकारों की व्यस्त दिनचर्या के बीच महिला पत्रकारों की सक्रिय भागीदारी प्रेरणादायक है। ऐसे आयोजन कार्यक्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा, आपसी समन्वय और टीम भावना को सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग रायपुर की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, पार्षद श्रीमती अंजुम ढेबर सहित वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती मंजूषा शर्मा, श्रीमती शशि परगनिया, श्रीमती आफताब बेगम, श्रीमती शताब्दी पाण्डे एवं श्रीमती ज्योति सिंह ठाकुर की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार स्व० वीरेंद्र दीपक की स्मृति में विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की गई। स्व० वीरेंद्र दीपक के परिजन, डॉ. श्वेता शर्मा (पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, गरियाबंद), श्रीमती उषा शर्मा तथा स्वर्गीय वीरेंद्र दीपक महाविद्यालय की डायरेक्टर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। मंच संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं उद्घोषक सुश्री आकांक्षा दुबे ने किया। आयोजन समिति के संयोजक विजय मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न इस प्रतियोगिता में प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव श्रीमती निवेदिता साहू एवं भूपेश जांगड़े सहित बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित रहे। खेल मड़ई के इस आयोजन ने महिला पत्रकारों की खेल प्रतिभा, आत्मविश्वास और एकजुटता को नई पहचान दी तथा पत्रकार जगत में स्वास्थ्य एवं सौहार्द का सकारात्मक संदेश प्रसारित किया।

फाइलेरिया मुक्त सूरजपुर का संकल्प

जिपं सीईओ ने दवा का सेवन कर कार्यलीन अधिकारी, कर्मचारियों को किया प्रेरित

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में जारी सामूहिक दवा सेवन अभियान को नई ऊर्जा देते हुये जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेन्द्र पाटले ने आज स्वयं फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन किया। उनके इस कदम ने जिला पंचायत कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रेरित किया, स्वास्थ्य टीम की उपस्थिति में कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारीगण ने फाइलेरिया रोधी दवा का किया सेवन किया।

इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों को दवा सेवन के लिए प्रेरित करते हुए कहा, फाइलेरिया जैसी बीमारी से मुक्ति का सबसे सरल और प्रभावी उपाय फाइलेरिया रोधी सामूहिक दवा सेवन है। उन्होंने विकासखंड सूरजपुर, प्रेमनगर व रामानुजनगर क्षेत्र के नागरिकों से अपील की कि सब स्वयं स्वेच्छा से आगे आकर दवा का सेवन करें। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशन व मार्गदर्शन में 10 से 25 फरवरी तक चल रहे इस अभियान में सूरजपुर, रामानुजनगर एवं प्रेमनगर विकासखंडों के 2 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को DEC, Albendazole और Ivermectin की ट्रिपल ड्रग थेरेपी निःशुल्क दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को इस दवा सेवन से छूट दी गई है। अभियान की उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि प्राप्त अंतिम जानकारी तक जिले के 2 लाख 30 हजार 273 लाभार्थियों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जा चुका है। मितानिनों द्वारा घर-घर जाकर दवा खिलाई जा रही है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस जन-स्वास्थ्य अभियान से वंचित न रहे।

जिले के 72 केंद्रों में होगी 10 वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा, 18.98 हजार से परीक्षार्थी होंगे शामिल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शुक्रवार से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया गया है कि इस वर्ष जिले में कुल 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिनके माध्यम से बोर्ड की परीक्षाएं संचालित की जाएगी। जिले में इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा में 10,053 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा में 8,045 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन कर किया गया है। इसके अलावा परीक्षा से पूर्व सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु पत्र जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

अविवादित नामांतरण व खाता विभाजन के निराकरण हेतु सरपंच-सचिव हुए प्रशिक्षित

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां जिला पंचायत सभाकक्ष में अविवादित नामांतरण एवं अविवादित खाता विभाजन प्रकरणों का ग्राम स्तर पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद सूरजपुर के सरपंच एवं सचिवों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।कार्यक्रम में अधिकारियों ने राजस्व संबंधी मामलों के सरल एवं समयबद्ध निपटारे की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज. ऑनलाइन प्रविष्टि तथा ग्राम स्तर पर समाधान की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को बताया गया कि छोटे-छोटे राजस्व प्रकरणों का गांव में ही निराकरण होने से आम नागरिकों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार,जनपद सीईओ सहित सरपंच एवं सचिव बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उक्त आयोजन जिले के रामानुजनगर व ओडगी जनपद में भी किया गया।

वजन त्यौहार में जिले के 80 हजार बच्चों के पोषण स्तर का हुआ आंकलन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल के मार्गदर्शन में जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्यौहार का आयोजन किया गया। इस अभियान के माध्यम से 01 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर का आकलन कर समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 09 से 18 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का वजन किया गया और वृद्धि निगरानी पंजी में अंकन किया गया। साथ ही ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में डेटा प्रविष्टि कर पोषण स्तर का विश्लेषण भी किया गया। अंतिम जानकारी के अनुसार 80,593 बच्चों अर्थात लगभग 70 प्रतिशत हितग्राहियों को इस अभियान से लाभान्वित किया जा चुका है। कुपोषण की स्थिति का सटीक आकलन करने के लिए बच्चों की नियमित निगरानी की गई, जिससे उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण तथा बीएमआई की गणना भी की गई। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की गई, ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में समग्र सुधार लाया जा सके।

निगरानी समिति की बैठक आज

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) तथा जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत शासी परिषद की बैठक सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज की अध्यक्षता में 19 फरवरी 2026 प्रातः 11 बजे से राजपुर जनपद पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। कलेक्टर ने समिति के सदस्यों से नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है।

स्कूली बच्चों को भारतीय न्याय संहिता सहित अन्य कानूनों की दी गई जानकारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। आईजी दीपक कुमार झा व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर चौकी सलका-उमेश्वरपुर पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। बुधवार को चौकी प्रभारी संजय यादव ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमेश्वरपुर में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विशेषताओं से स्कूली बच्चों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इन नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य दंड से न्याय की ओर बढ़ना है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान चौकी प्रभारी ने स्पष्ट किया कि इन कानूनों का लक्ष्य न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और पीड़ित केंद्रित बनाना है। इससे आम जनता को कई लाभ मिलेंगे। इन लाभों में ई-एफआईआर की सुविधा, डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता और महिलाओं व कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य चंद्रपाल लकड़ा, शिक्षक, शिक्षिकाएं पुलिस स्टाफ, छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

पीएम आवास योजना से साकार हुआ नीरावती के पक्के घर का सपना

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना का उद्देश्य आवास प्लस सर्वे के अंतर्गत चिन्हित सभी बेघर परिवारों और कच्चे व जर्जर मकानों में रहने वाले पात्र हितग्राहियों को सुरक्षित एवं पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में ग्राम देवीपुर की श्रीमती नीरावती पति प्रभुनाथ के पक्के आवास का सपना साकार हुआ है। नीरावती ने बताया कि पहले वे अपने परिवार के साथ एक जीर्ण-शीर्ण कच्चे मकान में जीवन व्यतीत कर रहे थे। बरसात के दिनों में छत टपकती थी, दीवारों में दरारें थीं और हर मौसम उनके परिवार के लिए एक चुनौती बन जाता था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे पक्का मकान बनवाने में असमर्थ थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे अपना पक्का घर बना सकें। कई वर्षों तक कच्चे मकान में ही गुजारा करना पड़ा, लेकिन मोर आवास, मोर अधिकार के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिलने के पश्चात शासन से प्राप्त आर्थिक सहायता और पंचायत के मार्गदर्शन से उन्होंने अपने सपनों का पक्का घर बनवाया। योजना ने केवल उन्हें एक घर ही नहीं दिया, बल्कि आत्मनिर्भरता, स्थायित्व और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान किया है।जिले में अब तक 59779 आवास पूर्ण हो चुके है। जो कि

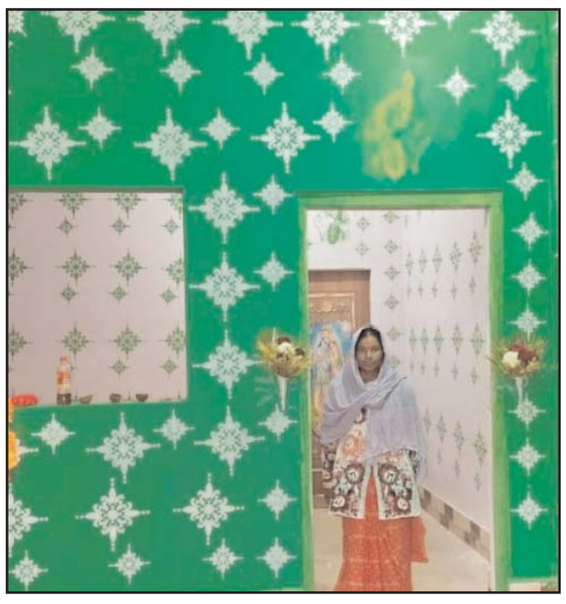

कुल स्वीकृत आवासों का 83 प्रतिशत है। विगत 2 वर्षों में 33608 आवास पूर्ण हुए है यह उपलब्धि अब तक के कुल पूर्णता का 56 प्रतिशत से अधिक है।

मां कुद्दरगढ़ी क्रिकेट प्रतियोगिता में कुंजनगर टीम ने मारी बाजी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। खेल भावना से भरपूर माहौल के बीच ग्राम पंचायत हर्राटिकरा में आयोजित मां कुद्दरगढ़ी क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ।

ग्रामीण अंचल में आयोजित इस प्रतियोगिता ने न केवल युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र को उत्सव के रंग में रंग दिया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हर्राटिकरा और कुंजनगर की टीमों के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई थी, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद पहले से ही थी।

इस मुकाबले में कुंजनगर की टीम ने संयमित बल्लेबाजी और सधी हुई गेंदबाजी के दम पर जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हालांकि हर्राटिकरा की टीम ने भी कड़ी टक्कर दी, लेकिन निर्णायक क्षणों में कुंजनगर के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष हरीश राजवाड़े उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी एवं पुरस्कार प्रदान करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन युवाओं को नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर सकारात्मक दिशा देते हैं।

कार्यक्रम में भागवत प्रजापति एवं अमित मित्तल सहित अन्य अतिथियों की भी उपस्थिति रही। इस दौरान आयोजन समिति के गोपाल, दलसाय, टीपेंद्र, बहादुर, अमर, अनुराग, उमेश, सनी, विक्की, हिमांशु, राहुल, सुंदर दास, सीताराम, शंकर राजवाड़े व अन्य उपस्थित थे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान खेल भावना व अनुशासन का बेहतर उदाहरण देखने को मिला।

ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आज सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि प्रतिभाओं को पहचान दिलाने का सशक्त मंच बनती जा रही हैं।

रासेयो के विशेष सात दिवसीय शिविर का किया गया आयोजन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। रासेयो इकाई महाविद्यालय ओड़गी के विशेष सात दिवसीय शिविर में परियोजना कार्य अंतर्गत शा.उ. मा. वि. बैजनाथपुर प्रांगण में स्वयंसेवकों द्वारा पक्के चबूतरे का निर्माण किया गया। बौद्धिक परिचर्चा में चतुर्थ दिवस थाना ओड़गी से हेमंत सिंह ने यातायात सुरक्षा में हेलमेट पहनाना, लाइसेंस बनवाकर ही वाहन चलाने, यातायात नियम का पालन करने,साइबर क्राइम अंतर्गत ठगी से बचाओ, पक्सो एक्ट, इसी क्रम में पंचम दिवस महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमति इंदिरा तिवारी ने सखी वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न, बालविवाह आदि जानकारी प्रदान की।उक्त दिवस पर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना एस. एन. पाण्डेय उपस्थित हुए और युवा शक्ति में राष्ट्र प्रेम के कई उदाहरण देकर जोश भरा। सर्टिफिकेट प्राप्त महाविद्यालय की छात्रा अमृता यादव और सात दिवसीय में शिविर में विशेष सहयोगी सीता, श्याम सिंह, और लालबहादुर कों मंच पर कैप पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम अधिकारी रंजीत कुमार सातपुते के मार्गदर्शन में संचालित उक्त शिविर में डॉ. अनिल पाण्डेय गंगाराम साहू बाली, करिश्मा, आकृति, कमलेश, कृष्णा शांति आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहे है।

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.
रा०प्र०क्र० / अ–20(1) / 2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण अशोक जिंदल आ० स्व० ओम प्रकाश जिंदल, निवासी कबीर वार्ड कमांक 44, अम्बिकापुर, राजेश जिंदल आ० स्व० ओम प्रकाश जिंदल, निवासी मणीपुर–अम्बिकापुर, सौभाग्य जिंदल, साक्षी जिंदल, शिवांगी जिंदल, प्राची जिंदल आ० स्व० बजरंग जिंदल, निवासी नवापारा जवाहरनगर वार्ड नंबर 9 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड अम्बिकापुर, उषा अग्रवाल पत्नी पवन कुमार अग्रवाल, निवासी बौरीपारा अम्बिकापुर, मूर्ति देवी जिंदल पत्नी स्व० ओम प्रकाश जिंदल, निवासी बरेजपारा अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसके स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि मोहल्ला सदर रोड, नगर अम्बिकापुर, शीट नंबर 08 स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 2722/2, 2722/3 रकबा कमशः 0.01, 0.00 1/2 एकड़ भूमि की लीज समाप्ति तिथि 31/03/2026 है। जिसके नवीनीकरण हेतु आवेदकगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 27/02/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 11/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)
रा०प्र०क्र० / ब–121 / 2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमार पिता बरातु जाति पण्डो व अन्य निवासी ग्राम विशुनपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम विशुनपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1/6 रकबा 1.363 हे0 मे से रकबा 0.020 हे0 भूमि को अनावेदक प्रभुनाथ राम आ0 लुन्दरा राम जाति उरांव निवासी ग्राम विशुनपुर के पास अपने निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण राशि रूपये 1,55,000/– में विक्रय करने का सौदा तय कर विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रा० अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 11/03/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा–आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय–सीमा के बाद प्राप्त दावा–आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)
रा०प्र०क्र० / ब–121 / 2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमार पिता बरातु जाति पण्डो व अन्य निवासी ग्राम विशुनपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम विशुनपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1/6 रकबा 1.363 हे0 मे से रकबा 0.048 हे0 भूमि को अनावेदक अनश्रेस तिर्की आ० दानियल तिर्की जाति उरांव निवासी ग्राम विशुनपुर के पास अपने निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण राशि रूपये 55,000/– में विक्रय करने का सौदा तय कर विक्रय करने की अनुमति हेतु आवे. दन पत्र श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रा० अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 11/03/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा–आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय–सीमा के बाद प्राप्त दावा–आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर सरगुजा

न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी(रा0) अम्बिकापुर जिला
सरगुजा (छ.ग.)
रा०प्र०क्र० / अ–2 / 2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिव कुमार बंसल पिता ऋषि राम बंसल जाति अग्रवाल निवासी बसुंधरा बिहार कालोनी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 4477/8 रकबा 0.016 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी–1, खसरा, नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 23/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू–अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा–आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 16/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

सूने मकान से जेवरातों की चोरी के मामले में खरीददार सहित 4 गिरफ्तार

जेवर दुकान के संचालक सहित अन्य आरोपियों से 1.30 लाख का सामान बरामद

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सूने मकान से चोरी करने के मामले में थाना गांधीनगर पुलिस टीम ने खरीददार समेत 04 आरोपियों को गिरफ्तार करके 01 लाख 30 हजार रुपये का जेवरात जप्त किया है।

जानकारी के मुताबिक अनिल कुमार दास निवासी बिशुनपुर खुर्द गोरसीडबरा ने थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 04 फरवरी को पूरा परिवार अपना घर बंद करके जगरनाथपुरी दर्शन करने गए थे। 05 फरवरी को उसका बड़ा भाई सुदामा फोन करके बताया कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है और घर का सामान बिखरा पड़ा है। सूचना पाकर जब वह वापस घर आया तो घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। कमरे के अंदर घुसकर देखा तो घर का समान अस्त-व्यस्त था और अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। अलमारी के अंदर रखा 01 सोने का चैन, 01 नग बच्चों का चांदी का कड़ा, 01 नग सोने का लॉकेट, 01 नग सोने का नाक का नथनिया, 01 जोड़ी चांदी का पायल, 01 नग चांदी का कड़ा, 02 नग सोने का अंगूठी कुल कीमत लगभग एक लाख 30 हजार रुपये एवं नकदी पैसा नहीं था। रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में धारा 331(4), 305(ए), 3(5), 317(2) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज करके पुलिस ने विवेचना में लिया। दौरान विवेचना पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले के संदेही को तलाशा। पुलिस टीम ने संदेही अतुल तिग्गा उर्फ अक्की पिता आनंद तिग्गा 20 वर्ष और सत्यदीप तिग्गा उर्फ टका पिता कालाबेर तिग्गा 21 वर्ष व राजा लकड़ा पिता सूर्या लकड़ा 20 वर्ष, सभी निवासी विशुनपुर खुर्द गोरसीडबरा थाना गांधीनगर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों के निशानदेही पर चोरी किया गया सामान गोरसीडबरा नाला के पास से बरामद किया गया। इनके द्वारा चोरी किए गए जेवर को दुकान संचालक कमल सोनी को बेचना बताया गया। पुलिस टीम ने आरोपी जेवर दुकान के संचालक कमल सोनी पिता गया प्रसाद सोनी 52 वर्ष निवासी ब्रह्म रोड को को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो वह चोरी का सामान खरीदना स्वीकार किया। आरोपी कमल सोनी के विरूद्ध चोरी की संपत्ति को अपराधिक दुर्विनियोग के नियत से खरीदना पाए जाने पर धारा 3(5), 317 (2) बीएनएस जोड़ा गया है। प्रकरण में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक सुभाष ठाकुर, आरक्षक कुंदन पाण्डेय, रमन मण्डल, राहुल सिंह सक्रिय रहे।

उड़ीसा से यात्री बस में गांजा लेकर पहुंचे थे तस्कर, बनारस जाने के पहले हुए गिरफ्तार

02 अंतर्राज्यीय आरोपियों से कोतवाली पुलिस ने 21.400 किलो गांजा जब्त किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। गांजा तस्करी के मामले में 02 अंतर्राज्यीय आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनके कब्जे से 21 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद करने में पुलिस सफल हुई है। जब्त किए गए गांजा की कीमत 04 लाख 28 हजार रुपये है। इनके पास से नकद रकम 3090 रुपये भी पुलिस ने जब्त किया है। आरोपियों द्वारा मादक पदार्थ गांजा को उड़ीसा से खरीद कर बिक्री करने के लिए लाना बताया गया।

अवैध मादक पदार्थ की खरीद-बिक्री एवं तस्करी में संलिप्त आरोपियों पर सरगुजा पुलिस लगातार पैनी नजर रख रही है, इसी क्रम में 17 फरवरी को थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नया बस स्टैंड के पीछे गुमटी के सामने दो व्यक्ति सफेद रंग के प्लास्टिक बोरा में अवैध मादक पदार्थ गांजा रख कर बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम घेराबंदी करते हुए आरोपियों तक पहुंची। बोरा में रखे सामान के बारे में पूछताछ करने पर दोनों संतोषप्रद जवाब नहीं दिए। पुलिस टीम ने जांच, तलाशी की प्रक्रिया पूरी करके बोरे की तलाशी ली, तो गांजा मिला, जिसे आरोपी युवक उड़ीसा से लेकर राधेश्याम बस से अंबिकापुर पहुंचे थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अमित शर्मा पिता संतोष शर्मा 21 वर्ष निवासी चुनार मेडिया थाना चुनार, जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, हाल मुकाम रामनगर औद्योगिक क्षेत्र कटारिया थाना मुगलसराय जिला चंदौली उत्तर प्रदेश व देवचंद यादव पिता जगदीश यादव 20 वर्ष निवासी कान्हानागर कैमूर थाना अघोरा जिला कैमूर बिहार का होना बताया। पूछताछ में इनके द्वारा उड़ीसा के एक व्यक्ति से 50 हजार रुपये में गांजा खरीदकर लाने की जानकारी दी है। उक्त अवैध मादक पदार्थ को वे बिक्री करने के लिए बनारस उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। आरोपियों से पुलिस ने 21 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 20(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक संदीप सिंह, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, विकास सिन्हा व जयदीप सिंह, आरक्षक अमित विश्वकर्मा, मनीष सिंह, जितेश साहू, संजय तिवारी, शिव राजवाड़े, मंटू गुप्ता, सैनिक सुनील गुप्ता सक्रिय रहे।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मां की पुण्य स्मृति में आत्मा की शांति हेतु हवन का आयोजन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश की मां स्वर्गीय श्रीमती कुसुम सिन्हा की पुण्य स्मृति में उनकी आत्मा की शांति हेतु हवन का आयोजन 15 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश के शासकीय आवास, उच्च न्यायालय आवासीय परिसर बोदरी, बिलासपुर में किया गया।

कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार, शांति हवन के साथ सम्पन्न हुआ। भजन संध्या पश्चात शोक सभा का आयोजन किया गया। सभी उपस्थितजनों ने मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की माताजी स्व. श्रीमती कुसुम सिन्हा के जीवन, उनके सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, संस्कारों एवं पारिवारिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि उनके स्नेह, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद ने सदैव जीवन में कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा एवं सेवा भाव की प्रेरणा दी। माताजी के स्नेह और आशीर्वाद की स्मृतियाँ सदैव शक्ति एवं प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी।

इस दौरान विष्णुदेव साय मुख्य मंत्री, तोखन साहू केन्द्रीय राज्य मंत्री, गजेंद्र यादव विधि मंत्री, उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश, रमेश बैस पूर्व राज्यपाल, सुशांत शुक्ला विधायक, महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक, अध्यक्ष एवं सचिव उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशासन एवं पुलिस के विभाग के अधिकारी, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारी, जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के कमर्चारी एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे।

सरस्वती महाविद्यालय के एम.एस.सी. छात्रों ने किया शैक्षणिक भ्रमण

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरस्वती महाविद्यालय के एम.एस.सी. के छात्रों ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल रामगढ़ का शैक्षणिक भ्रमण किया। यह भ्रमण अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को समझने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। विद्यार्थियों ने विशेष रूप से महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत से जुड़े रामगढ़ स्थल का अवलोकन किया, जिसे ऐतिहासिक रूप से इस काव्य की रचना-स्थली माना जाता है। यह शैक्षणिक भ्रमण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ऋषि के निर्देशानुसार, साइंस विभाग के प्रमुख प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने अनुशासन एवं उत्साह के साथ पूर्ण किया। भ्रमण के दौरान छात्रों ने रामगढ़ की रमणीय पहाड़ियों का अवलोकन किया। इन्हें प्राकृतिक सौंदर्य, हरित वातावरण और प्राचीन गुफाओं ने विद्यार्थियों को अत्यंत प्रभावित किया। पहाड़ियों से दिखाई देने वाले मनोहारी दृश्य ने छात्रों को प्रकृति और साहित्य के अद्भुत समन्वय का अनुभव कराया। प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों को मेघदूत की पृष्ठभूमि, उसकी काव्य-विशेषताओं तथा भारतीय साहित्य में उसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों ने राम जानकी मंदिर में दर्शन कर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव भी प्राप्त किया। मंदिर की शांत एवं पवित्र वायु ने सभी को भाव-विभोर कर दिया। इस अवसर पर सहायक प्राध्यापक प्रवीण शर्मा, सुरेश यादव, तोलेश्वर राजवाड़े, ममता यादव, सूरज कुमार, सच्चिदानंद, धनपति, सुनील, अजेय तथा नरेंद्र बंजारे सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अतिरिक्त व्यवहारिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त हुआ। महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस प्रकार के भ्रमण छात्रों के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। सभी छात्र-छात्राओं ने इस अनुभव को ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं अविस्मरणीय बताया।

आध्यात्मिकता के बिना समावेशी विकास संभव नहीं-प्रोफेसर वाजपेयी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग एवं अर्थशास्त्र के राष्ट्रीय एसोसिएशन एसेड्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'नेविगेटिंग ग्लोबल चैलेंजेस, सोशियो-इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑन सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी' के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ 18 फरवरी को महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। इस मौके पर संगोष्ठी के मुख्य अतिथि देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं कुलपति अटल बिहारी विश्वविद्यालय बिलासपुर प्रो. ए.डी.एन. बाजपेयी ने अपने उद्बोधन में समावेशी एवं संतुलित विकास के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक समाजवाद के द्वारा ही शांति, समता एवं समग्रता के साथ विकास संभव है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार सिन्हा ने देश-विदेश से आए सभी शिक्षाविदों, आगंतुकों एवं शोधार्थियों का महाविद्यालय की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया। प्रो. विनोद कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष एसेड्स एवं प्रो. जय नारायण पाण्डेय, संगोष्ठी संयोजक ने स्वागत उद्बोधन दिया। नीति आयोग के प्रोफेसर प्रो. मनमोहन कृष्णा, भूतपूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा च्वॉयस आर्किटेक्चर पर विचार व्यक्त किए गए। उन्होंने विकल्प संरचना की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रो. विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं डॉ. सरिता द्विवेदी द्वारा रचित किताब कला शक्ति एवं डॉ. सरिता द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय समकालीन कला का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के कुलसचिव, प्रो. शारदा प्रसाद त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में शोध के क्षेत्र में स्वयं के अनुभव साझा किए और कहा कि इस क्षेत्र में और अधिक प्रयास की आवश्यकता है, जिससे समाज के लिए अधिक से अधिक सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे। क्षेत्रिय अपर संचालक उच्च शिक्षा विभाग प्रो. रिजवान उल्ला ने कहा कि निरंतर नए शोध के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का अवसर शोधार्थियों को मिलता रहता है। किसी भी राष्ट्र की स्थिति उसके आर्थिक स्तर पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह सदी बाजार की सदी है, जिसमें बाजार की प्रमुखता है। बाजार एवं कंज्यूमर दोनों का सशक्त होना अति आवश्यक है। प्रो. ए.पी. पांडे, पूर्व कुलपति मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं प्रो. अल्पना श्रीवास्तव, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर अपने अनुभवों को साझा किया। एसेड्स के ज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए प्रो. किशन यादव, कुलपति तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना मध्य प्रदेश को चयनित किया गया। इनके अर्थशास्त्र में विशेष योगदान की सराहना की गई। संगोष्ठी में बहुतायत संख्या में देश-विदेश से अतिथि एवं शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर जय नारायण पाण्डेय, आयोजन सचिव डॉ. रजनी सारथी, अनिशा लकड़ा एवं डॉ. अजय सिन्हा और महाविद्यालय के शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। मंच संचालन डॉ. हर्षदीप सिंह धंजल एवं डॉ. रश्मित कौर ने किया।

बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे संचालकों, मैरिज ग्राउंड एवं होटल प्रबंधकों को कड़ी हिदायत

प्रशासन व पुलिस की संयुक्त बैठक में निर्देशों का पालन करने के निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर पुलिस ने जिले के समस्त डीजे संचालकों, मैरिज ग्राउंड एवं होटल प्रबंधकों की बैठक ली। बैठक में डीजे संचालकों को विधिवत अनुमति प्राप्त करके आवाज तय मानकों के आधार पर रखकर संचालन करने के निर्देश दिए गए। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे संचालन किए जाने पर डीजे संचालकों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने की चेतवानी दी गई। होटल मैनेजर एवं मैरिज गार्डन संचालकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए तय समय के बाद परिसर में डीजे संचालन नहीं करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत नहीं बजाने की सख्त हिदायत दी गई है।

आगामी बोर्ड परीक्षाओं को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा जिले के सभी डीजे संचालकों, मैरिज ग्राउंड एवं होटल प्रबंधकों की बैठक में डीजे संचालन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में कोतवाली थाना में आहूत बैठक में विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन कराने का गया। नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल, एसडीएम फागेश सिन्हा एवं तहसीलदार उमेश्वर सिंह बाज के उपस्थिति में हुई बैठक में आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर किसी भी सामाजिक, धार्मिक आयोजन, कार्यक्रम, रैली, जुलूस में डीजे संचालन से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही डीजे सिस्टम लगाने, साउंड सिस्टम की आवाज तय मानकों के अंतर्गत रखने एवं समय का विशेष ध्यान रखने हेतु रात्रि 10 बजे के पूर्व तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। बैठक दौरान डीजे संचालकों को रजिस्टर संधारण करने के लिए कहा गया, जिसमें विधिवत अनुमति एवं नियम शर्तों के साथ डीजे संचालन कराने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र एवं अन्य जानकारियां लिखित रूप में हो, जिससे आवश्यक होने पर संबंधित व्यक्ति एवं संचालक से तत्काल परस्पर सूचना स्थापित किया जा सके। बैठक में तय समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जप्ती की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। मैरिज गार्डन एवं होटल के मैनेजरों को डीजे संचालन से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया गया। प्रत्येक होटल मैनेजर एवं मैरिज गार्डन संचालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि तय समय के बाद किसी प्रकार के कार्यक्रम में डीजे का संचालन ना हो। डीजे संचालन के दौरान किसी भी धर्म संप्रदाय एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत नहीं बजाने की कड़ी समझाईस दी गई। डीजे संचालकों ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदान की। बैठक के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक ललन गुप्ता, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह एवं सरगुजा जिले के सभी डीजे संचालक, मैरिज गार्डन व होटल मैनेजर उपस्थित रहे।

Since 2003
Based on CBSE Syllabus
Admission Open
Nursery to 10th
Milestones School
English Medium
Add. : Behind Central Bank Gudri Chowk, Ambikapur Mob. 9826190902
Office Time : 10 AM to 2 PM

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दरीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर